

# राज्यों की वित्तीय स्थिति

सुयश तिवारी  
साकेत सूर्य

दिसंबर 2020



2019-20 में निम्न राजस्व वृद्धि से व्यय की वृद्धि दर गिरी

कोविड-19 के कारण राजस्व के नुकसान से खर्च पर असर

सेंट्रल सेस और सरचार्ज बढ़ने से राज्यों को कर हस्तांतरण में कमी

2020-21 में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के स्थान पर ऋण दिए गए

2019-20 के दौरान आर्थिक मंदी का नकरात्मक असर राज्यों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर था जोकि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में लगभग शून्य वृद्धि के रूप में नजर आया था। 2020-21 के वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप हुआ और लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंध लगे। इससे आर्थिक गतिविधियों में संकुचन आया। एक तरफ केंद्र और राज्यों के राजस्व संग्रह पर असर हुआ तो दूसरी ओर कमजोर तबकों को राहत प्रदान करने एवं अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश में खर्च करना पड़ा। इससे राज्यों को अपने खर्च के लिए उधारियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त जीएसटी कलेक्शन की निम्न दर ने क्षतिपूर्ति की जरूरतों को बढ़ाया जो केंद्र से प्राप्त होती है और इस प्रकार इसके वित्त पोषण को भी चुनौती मिली। साथ ही राज्यों के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों की निरंतर खराब वित्तीय स्थिति से भी जोखिम उत्पन्न हुए। इस संबंध में हमने राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की हालिया प्रवृत्तियों और प्रगति की समीक्षा की है। प्रस्तुत रिपोर्ट राज्यों के पिछले 11 वर्षों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इसमें सभी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर (केवल 2020-21) एवं दिल्ली को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि अधिकतर राज्यों ने अपना 2020-21 का बजट देशव्यापी लॉकडाउन से पहले पेश किया था और इस वर्ष के अंतिम नतीजे बजट अनुमानों से काफी फर्क रहने वाले हैं। 2019-20 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं, अन्यथा उल्लिखित है। वेतन, बकाया देनदारियों, गारंटी और राज्यों की जीएसटीपी के आंकड़े आरबीआई की रिपोर्ट्स से लिए गए हैं। रिपोर्ट के रेखाचित्रों में जिन संक्षिप्त नामों का इस्तेमाल किया गया है, उसकी सूची नीचे दी गई है।

राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम	राज्य	संक्षिप्त नाम
आंध्र प्रदेश	AP	झारखंड	JH	ओडिशा	OD
अरुणाचल प्रदेश	AR	जम्मू और कश्मीर	JK	पंजाब	PB
असम	AS	कर्नाटक	KA	राजस्थान	RJ
बिहार	BR	केरल	KL	सिक्किम	SK
छत्तीसगढ़	CG	मेघालय	MG	तमिलनाडु	TN
दिल्ली	DL	महाराष्ट्र	MH	त्रिपुरा	TR
गोवा	GA	मध्य प्रदेश	MP	तेलंगाना	TS
गुजरात	GJ	मणिपुर	MN	उत्तराखंड	UK
हिमाचल प्रदेश	HP	मिजोरम	MZ	उत्तर प्रदेश	UP
हरियाणा	HR	नागालैंड	NL	पश्चिम बंगाल	WB

## विषयवस्तु


खंड	पेज संख्या.
राज्यों की वित्तीय स्थिति- मुख्य बिंदु	2-8
राज्यों की वित्तीय स्थिति और प्रवृत्तियां	
<i>i. प्राप्ति</i>	12-19
<i>ii. व्यय</i>	19-23
<i>iii. ऋण और घाटा</i>	23-27
अनुलग्नक 1: 2020-21 के लिए राज्यों का राजकोषीय घाटा	28
अनुलग्नक 2: राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति	24-30
अनुलग्नक 3: 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग के सुझाव	30-32
अनुलग्नक 4: मुख्य क्षेत्रों पर राज्यों का व्यय	32-36
पारिभाषिक शब्द	37

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

## राज्यों की वित्तीय स्थिति- मुख्य बिंदु

- प्राप्तियों और व्यय की निम्न स्तरीय वृद्धि:** 2019-20 में नॉमिनल जीडीपी (यानी वास्तविक जीडीपी जमा मुद्रास्फीति) 12% के बजट अनुमान की तुलना में 7.2% की दर से बढ़ी। परिणामस्वरूप राज्यों को केंद्र के कर राजस्व से अपेक्षा से कम हस्तांतरण किए गए, साथ ही उनके अपने कर राजस्व पर भी असर हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में 0.8% की गिरावट हुई जोकि 20% की बजटीय वृद्धि के हिसाब से बहुत कम थी। 2019-20 में राज्यों की व्यय वृद्धि में 3.9% की कमी आई (2011-19 में औसत वृद्धि 13.8% थी)। जब वेतन, पेंशन और ब्याज जैसी मदों के कारण राजस्व व्यय काफी लचीला था, पूंजीगत परिव्यय में गैर अनुपातिक रूप से काफी कटौती हुई और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 8.7% की गिरावट हुई (पेज 4)।


रेखाचित्र 1: राज्य की राजस्व प्राप्तियों और व्यय में वृद्धि (2011-20)



- 2020-21 में उधारियों पर निर्भरता बढ़ी:** कोविड-19 के कारण 2020-21 की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधियों में कमी आई। इससे कर राजस्व में गिरावट हुई। 21 राज्यों के अप्रैल-अक्टूबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार, उनकी राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 13% की गिरावट हुई। व्यय को जारी रखने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को इस वर्ष अपनी उधारियां बढ़ाने की अनुमति दी है। राजकोषीय घाटा सीमा को जीएसटीपी के 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। चार प्रकार के सुधारों को लागू करने पर इस सीमा को 1% और बढ़ाया जा सकता है (प्रत्येक सुधार के लिए 0.25%)। ये सुधार हैं, एक देश एक राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली वितरण और शहरी स्थानीय निकाय/यूटिलिटी। 11 दिसंबर, 2020 तक बाजार उधारियों (शुद्ध) के जरिए राज्यों ने 4.6 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि की शुद्ध बाजार उधारियों से 82.5% अधिक हैं (पेज 5)।

- राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस कलेक्शन अपर्याप्त:** राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में कमी को केंद्र की क्षतिपूर्ति तथा सेस के जरिए वित्त पोषित किया जाता है। 2019-20 में राज्यों को 1.65 करोड़ रुपए के जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत थी जोकि 2018-19 की तुलना में लगभग दोगुना है। इससे लगभग 70,000 करोड़ रुपए की कमी पैदा हुई जोकि 2020-21 के सेस कलेक्शन के जरिए आंशिक रूप से पूरी की जानी थी। 2020-21 में राज्यों की अपेक्षित क्षतिपूर्ति 3 लाख करोड़ रुपए और बढ़ी जिससे 2.3 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। इसके एक हिस्से (1.1 लाख करोड़ रुपए) को राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधारियों के जरिए वित्त पोषित किया जाएगा और शेष को जून 2022 के बाद सेस कलेक्शन बढ़ाकर चुकाया जाएगा। क्षतिपूर्ति की गारंटी जून 2022 में समाप्त होती है जिसके बाद क्षतिपूर्ति पर निर्भर राज्यों के राजस्व संतुलन में अंतराल आएगा (यह कुछ राज्यों जैसे पंजाब के लिए महत्वपूर्ण होगा जहां 2019-20 की राजस्व प्राप्तियों का 20% इसी मद में गिना गया है) (पेज 6 और 7)।

रेखाचित्र 2: जीएसटी सेस कलेक्शन और क्षतिपूर्ति की जरूरत (करोड़ रुपए में)



- केंद्र के कर राजस्व में सेस और सरचार्ज का हिस्सा बढ़ा:** 2012-13 और 2019-20 के बीच केंद्र का सेस और सरचार्ज राजस्व जीडीपी के 0.9% से बढ़कर जीडीपी का 1.7% हो गया। इसके विपरीत सकल कर राजस्व जीडीपी के 10.4% से गिरकर जीडीपी का 9.9% हो गया। कर राजस्व के विभाजित पूल (जिसे केंद्र राज्यों के


साथ बांटता है) में सेस और सरचार्ज से प्राप्त होने वाला राजस्व शामिल नहीं होता। इसलिए सकल कर राजस्व में सेस और सरचार्ज का हिस्सा बढ़ने से उस पूल का आकार कम होता है (पेज 9)।

- **स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय लक्ष्य से कम:** कोविड-19 ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान पर सबका ध्यान खींचा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में यह सुझाव दिया गया है कि 2025 तक स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी खर्च जीडीपी का 2.5% होना चाहिए। 2015-16 और 2020-21 के बीच केंद्र और राज्यों, दोनों का बजटीय आबंटन जीडीपी के 0.9% से बढ़कर 1.1% हो गया (छह वर्षों में जीडीपी की 0.2% संचयी वृद्धि)। राष्ट्रीय नीति ने यह सुझाव भी दिया था कि 2020 तक स्वास्थ्य पर राज्यों का व्यय 8% या उससे अधिक हो जाना चाहिए। 2020-21 में किसी भी बड़े राज्य के बजट में स्वास्थ्य पर 8% का आबंटन नहीं किया गया (पेज 10)।

## आर्थिक मंदी के कारण राजस्व में कमी और परिणामस्वरूप 2019-20 में व्यय की वृद्धि धीमी

2019-20 के बजट में केंद्र सरकार ने नॉमिनल जीडीपी (यानी वास्तविक जीडीपी जमा मुद्रास्फीति) में 12% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। हालांकि अनंतिम जीडीपी अनुमानों में कहा गया कि 2019-20 में नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि 7.2% थी। चूंकि केंद्र और राज्य बजट में 2019-20 के राजस्व अनुमान 12% जीडीपी के अनुमानों पर आधारित थे, वे अपने राजस्व अनुमानों को हासिल नहीं कर पाए। राज्यों के हस्तांतरण में कटौती हुई, जोकि उन्हें केंद्र के कर राजस्व से मिलने की उम्मीद थी। इसके अलावा उनके अपने कर राजस्व पर भी असर हुआ। परिणाम के तौर पर राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में 0.8% की गिरावट हुई। यह 20% की बजटीय वृद्धि, साथ ही 2011-19 में 13.3% की औसत वृद्धि से कम रहा है।

**रेखाचित्र 3: 2011-20 के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियों और व्यय में वृद्धि**




Note: 2019-20 data from provisional accounts for all states except Delhi and Goa. 2019-20 revenue excludes one-time non-tax revenue of Rs 71,180 crore that UP got as a transfer of its entire Sinking Fund balance. Including that amount, 2019-20 revenue growth will be 2%.  
Sources: State Budget Documents; CAG (2019-20 data); PRS.

**राजस्व प्राप्तियों में कमी:** 2019-20 में केंद्र का सकल कर राजस्व पिछले वर्ष के मुकाबले 3.4% कम रहा, जिसका कारण आर्थिक मंदी और घरेलू कंपनियों के लिए इनकम टैक्स की निम्न स्तरीय दर का विकल्प था।<sup>1</sup> परिणाम के तौर पर राज्यों के हस्तांतरण कम हुए, जोकि सामान्यतया राजस्व प्राप्तियों का 27% होते हैं। 2019-20 के हस्तांतरण 58,843 करोड़ रुपए कम हो गए क्योंकि 2018-19 में केंद्र ने बकाया अतिरिक्त हस्तांतरण किए थे। इसलिए 2019-20 में राज्यों को हस्तांतरण के रूप में 6,50,677 करोड़ रुपए मिले जोकि 8,09,133 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 20% कम हैं। मांग में मंदी का असर जीएसटी के राजस्व पर पड़ा जोकि अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर वसूला जाता है। 2019-20 में सकल जीएसटी राजस्व (केंद्र+राज्य) पिछले वर्ष के मुकाबले सिर्फ 4% बढ़ा।<sup>2</sup> चूंकि राज्यों को 2022 तक उनके जीएसटी राजस्व में 14% की वृद्धि की गारंटी दी गई है, इसलिए जीएसटी राजस्व में कमी होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति अनुदान का सहारा होगा। हालांकि केंद्र ने 65,546 करोड़ रुपए के अनुदान को अगले वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है।

**व्यय पर असर:** राजस्व प्राप्तियों की निम्न वृद्धि से व्यय में कटौती और उधारियों में बढ़ोतरी होती है। 2019-20 में राज्यों का व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़ा जोकि 2011-19 की अवधि के दौरान 13.8% की औसत वृद्धि से काफी कम है। चूंकि राजस्व व्यय का लगभग आधा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए होता है, जैसे वेतन, पेंशन, और ब्याज, तो पूंजीगत परिव्यय पर असर पड़ा। राजस्व व्यय 6% बढ़ा, जबकि पूंजीगत परिव्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 8.7% गिरावट हुई। वर्ष के दौरान राज्य की उधारियां भी बढ़ीं- उनका राजकोषीय घाटा 2018-19 में जीडीपी के 2.37% से बढ़कर 2019-20 में जीडीपी का 2.5% हो गया।

**उच्च बजट अनुमान:** राज्य आने वाले वर्ष का बजट बनाते समय अपनी राजस्व प्राप्तियों को ज्यादा करके आंकते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि (i) अगले वर्ष के लिए महत्वाकांक्षी वृद्धि अनुमान लगाए जाते हैं, या (ii) मौजूदा वर्ष के आधार राजस्व के तौर पर अवास्तविक 'संशोधित अनुमान' का इस्तेमाल किया जाता है जोकि वास्तविक राजस्व को अनुमान से अधिक आंकता है। इससे कई वर्षों के दौरान राज्यों के राजस्व में कमी आई। ऐसी स्थिति में राज्य या तो कमी को पूरा करने के लिए उधार लेते हैं या अपने बजटीय व्यय में कटौती करते हैं। राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट्स द्वारा जीएसडीपी के 3% पर सीमित होता है जिसके चलते अक्सर उन्हें अपने व्यय में कटौती करनी पड़ती है। चूंकि राजस्व व्यय अपेक्षित लचीला नहीं होता, सबसे अधिक कटौती पूंजीगत परिव्यय में देखी जाती है (रेखाचित्र 4)।

**रेखाचित्र 4: राजस्व में कमी और अल्प व्यय: वास्तविक आंकड़ों से बजट अनुमान में विचलन**



Sources: State Budget Documents; CAG (2019-20 data); PRS.


#### कोविड-19 ने राजस्व को प्रभावित किया, राज्य 2020-21 में उधारियों पर अधिक निर्भर

2020-21 के केंद्रीय बजट में नॉमिनल जीडीपी (यानी वास्तविक जीडीपी जमा मुद्रास्फीति) में 10% की वृद्धि का अनुमान था। आधे से अधिक राज्यों ने अनुमान लगाया था कि उनकी नॉमिनल जीएसडीपी वृद्धि दर 8%-13% के बीच होगी। हालांकि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण 2020-21 की वास्तविक वृद्धि नकारात्मक हो सकती है। पहली दो तिमाही में नॉमिनल जीडीपी क्रमशः 22.6% और 4% पर संकुचित हो सकती है।<sup>3,4,5</sup> आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि वास्तविक जीडीपी इस वर्ष 7.5% संकुचित होगी।<sup>6</sup> परिणाम के तौर पर केंद्र और राज्यों का राजस्व, खासकर कर राजस्व, बजटीय अनुमान से कम होने की उम्मीद है।

रेखाचित्र 5 में अप्रैल-अक्टूबर 2019 की तुलना में 2020 में इसी अवधि के दौरान 21 राज्यों (जिनके डेटा उपलब्ध हैं) की राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। औसतन, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में राज्यों के राजस्व में 13% की गिरावट होगी। जबकि इन राज्यों ने अप्रैल-अक्टूबर 2019 में अपना 52% राजस्व अर्जित किया, इस वर्ष उसी अवधि में वे पूर्ण वर्ष के लक्ष्य का केवल 37% अर्जित कर पाए। उल्लेखनीय है कि इन राज्यों के राजस्व के 2020-21 के अनुमान, पिछले वर्ष के राजस्व में 22% की वृद्धि पर आधारित थे जोकि 2019-20 की तुलना में काफी अधिक था।

वर्ष की शुरुआत में राज्यों को नकदी देने के लिए केंद्र ने वास्तविक कर संग्रह के स्थान पर बजट अनुमानों पर आधारित अपने कर राजस्व से हस्तांतरण किए। जैसा कि 2020-21 में कुल हस्तांतरण में केंद्र के सकल कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष की कमी पर भी ध्यान दिया जाएगा, शेष वर्ष के दौरान राज्यों की हिस्सेदारी में कमी हो सकती है, जिससे हस्तांतरण से होने वाली प्राप्तियां प्रभावित होती है।<sup>7</sup> इससे उन राज्यों पर असर होगा, जिन्हें हस्तांतरण के रूप में राजस्व का बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है।

रेखाचित्र 5: अप्रैल-अक्टूबर 2019 की तुलना में 2020 में इसी अवधि के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में परिवर्तन



Note: A major reason for the growth in revenue of some states is higher grants-in-aid from the Centre. Data for Himachal Pradesh and West Bengal is till the month of September. Latest data (Sep/ Oct 2020) not available for the other states not in the graph.

Sources: CAG; PRS.

चूंकि राज्यों का राजस्व 2020-21 में बहुत अधिक संकुचित होगा, उन्हें या तो बजटीय व्यय को बरकरार रखने के लिए अपनी उधारियों में इजाफा करना होगा, या व्यय को कम करना होगा। राज्यों की उधार लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र ने राज्यों को 2020-21 में अपना राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% करने की अनुमति दी है (यानी 4.28 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी)। जीएसडीपी की सीमा 5% करने से राज्यों को राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3.5% तक रखने की अनुमति मिलती है, और वह भी बिना किसी शर्त के। राज्यों को 0.5% की छूट और उपलब्ध है जोकि जीएसटी क्षतिपूर्ति उधारी के विकल्प 1 को चुनते हैं (पेज 8 पर स्पष्ट)। चूंकि सभी राज्यों ने विकल्प 1 को चुना है, वे जीएसडीपी की 4% की राजकोषीय घाटा सीमा के लिए पात्र हैं।

जीएसडीपी की शेष 1% की अनुमति चार क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के बाद मिलेगी (हर सुधार पर जीएसडीपी का 0.25%)। ये सुधार हैं, एक देश एक राशन कार्ड, ईज ऑफ इंडिंग बिजनेस, शहरी स्थानीय निकाय/यूटिलिटी, और बिजली वितरण। अनुलग्नक 1 में 2020-21 में राज्यों के लिए मंजूर बिना शर्त और सशर्त राजकोषीय घाटे को प्रदर्शित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्यों को अनुमत बाजार उधारियों को अनंतिम आधार पर मंजूर किया गया है और वर्ष के दौरान बाद में इन्हें संशोधित किया जा सकता है। 11 दिसंबर, 2020 तक राज्यों ने बाजार उधारियों के जरिए 4.6 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं (शुद्ध, जिसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति के लोन्स भी शामिल हैं) जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान शुद्ध बाजार उधारियों से 82.5% अधिक हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्व की कमी और व्यय की संशोधित प्राथमिकताओं के साथ राज्यों ने अपने व्यय को लंबित करने या उनमें कटौती के उपाय भी किए। अप्रैल-अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान जबकि 21 राज्यों का व्यय 3.2% कम हो गया, पूंजीगत व्यय में गैर अनुपातिक रूप से सबसे अधिक 25.3% की गिरावट हुई। 2020-21 में राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र उन्हें कुल 12,000 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है जोकि 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त होगा (2020-21 के उनके नियोजित पूंजीगत परिव्यय के 2% के बराबर)। इसमें से 2,000 करोड़ रुपए उपरिलिखित सुधार करने की शर्त के साथ दिए जा रहे हैं।

### राज्यों की क्षतिपूर्ति की जरूरत को वित्त पोषित करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस कलेक्शन पर्याप्त नहीं

2017 में जीएसटी के लागू होने के साथ अनेक वस्तुओं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कराधान का सिद्धांत मूल स्थान से बदलकर गंतव्य आधारित हो गया। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने और राजस्व उगाहने की क्षमता मूल राज्य (जहां वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित किया जाता है) से गंतव्य राज्य (जहां उनका उपभोग होता है) को स्थानांतरित हो गई। इससे कुछ राज्यों के लिए राजस्व की अनिश्चितता पैदा हो गई। इस चिंता को संवैधानिक संशोधनों के जरिए दूर किया गया, जिसके अंतर्गत संसद के लिए एक ऐसा कानून बनाना जरूरी था जोकि राज्यों को पांच वर्ष तक क्षतिपूर्ति प्रदान करे ताकि उन्हें जीएसटी के लागू होने पर राजस्व का नुकसान न हो।<sup>8</sup>


नतीजतन 2017 में जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट लागू किया गया।<sup>9</sup> यह एक्ट सभी राज्यों को जुलाई 2017-जून 2022 की अवधि के दौरान जीएसटी राजस्व की 14% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की गारंटी देता है। अगर राज्यों



का जीएसटी राजस्व 14% से कम रहता है तो इस 'राजस्व की कमी' की भरपाई के लिए केंद्र राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान देगा। केंद्र कुछ लगजरी और सिन गुड्स जैसे सिगरेट और तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, कैफिनेटेड बेवरेज, कोयला और कुछ यात्री वाहनों पर जीएसटी मुआवजा सेस वसूलता है। एक्ट में केंद्र से यह अपेक्षित है कि वह इस सेस राजस्व को मुआवजा फंड में जमा कराए। राज्यों को क्षतिपूर्ति अनुदान इस फंड से चुकाए जाते हैं।

2018-19 के लिए केंद्र ने राज्यों को 81,141 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा दिया। हालांकि 2019-20 के लिए राज्यों की जरूरत लगभग दोगुनी यानी 1.65 लाख करोड़ रुपए थी। 2019-20 में नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 7.2% बढ़ी जोकि केंद्रीय बजट के पूर्वानुमानों की तुलना में बहुत कम थी (रेखाचित्र 6)। इसका नतीजा यह हुआ कि सकल जीएसटी राजस्व (केंद्र+राज्य) पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 4% बढ़ा।<sup>2</sup> चूंकि राज्यों को अपने जीएसटी राजस्व में 14% की वृद्धि का आश्वासन दिया गया था तो उनकी क्षतिपूर्ति की जरूरत बढ़ गई। इसी दौरान जिन वस्तुओं पर सेस लगाया जाता है, उनकी बिक्री में गिरावट से सेस कलेक्शन में भी कमी आई। जैसे 2019-20 में यात्री वाहनों की बिक्री में 18% और घरेलू कोयला कंपनियों की कोयला खरीद में 5% की गिरावट हुई।<sup>10,11,12</sup>

**रेखाचित्र 6: जीडीपी की वृद्धि दर (2017-21)**




Sources: Union Budget Documents; MOSPI; PRS.

इस प्रकार 2019-20 में क्षतिपूर्ति की जरूरत 104% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गई, जबकि सेस कलेक्शन में सिर्फ 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई (रेखाचित्र 7)। इससे उस वर्ष सेस कलेक्शन और राज्यों को देय क्षतिपूर्ति के बीच 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा अंतर आ गया। इसे निम्न के जरिए पूरा किया जाना था: (i) पिछले वर्षों के अधिशेष सेस कलेक्शन (लगभग 28,000 करोड़ रुपए), (ii) 2020-21 में जमा सेस से लगभग 9,000 करोड़ रुपए के उपयोग, और (iii) केंद्र से मुआवजा फंड में 33,412 करोड़ रुपए की अनसैटेल्ड राशि का हस्तांतरण।<sup>13</sup> ये अनसैटेल्ड फंड्स 2017-18 में अंतरराज्यीय और विदेशी व्यापार से प्राप्त हुए थे लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच सैटेल्ड नहीं हुए थे।

जबकि इन स्रोतों को कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, प्रावधान समय पर नहीं किए गए जिससे राज्यों के भुगतान में देरी हुई और उनकी 2019-20 की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। अप्रैल-सितंबर 2019 के महीनों के लिए राज्यों को समय पर मुआवजा चुकाया गया, यानी जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 के अनुसार द्विमासिक आधार पर। हालांकि इसके बाद अक्टूबर 2019-मार्च 2020 के महीनों के लिए मुआवजे के भुगतान में विलंब हुआ। 2019-20 के देय मुआवजे का लगभग 40% केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में चुकाया जोकि 65,600 करोड़ रुपए से अधिक है।<sup>14</sup>

**रेखाचित्र 7: 2019-20 और 2020-21 में राज्यों को क्षतिपूर्ति अनुदान देने के लिए सेस कलेक्शन पर्याप्त नहीं**



Sources: Union Budget Documents; Ministry of Finance; GST Council; Lok Sabha Questions; PRS.

### कोविड-19 के कारण क्षतिपूर्ति सेस और 2.3 लाख करोड़ के देय के बीच का अंतर और बढ़ा

2020-21 के बजट में केंद्र ने नॉमिनल जीडीपी में 10% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण वास्तविक वृद्धि के बहुत कम रहने का अनुमान है और अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान नॉमिनल जीडीपी 13.3% संकुचित हो गई है।<sup>5</sup> ऐसी स्थिति में राज्यों के जीएसटी राजस्व के अपेक्षा से काफी कम रहने की

उम्मीद है जिससे क्षतिपूर्ति की जरूरत बढ़ेगी। वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2020 में केंद्र ने 2020-21 में राज्यों के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की अपेक्षित क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाया।<sup>15</sup> हालांकि केंद्र की इस क्षतिपूर्ति को चुकाने की क्षमता सेस कलेक्शन पर निर्भर करती है जिस पर इस वर्ष असर पड़ने वाला है। 2019-20 में क्षतिपूर्ति चुकाने के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के बाद केंद्र ने 2020-21 में क्षतिपूर्ति के लिए 68,700 करोड़ रुपए के सेस कलेक्शन का अनुमान लगाया है। इससे लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए की कमी होगी। अक्टूबर 2020 तक सेस कलेक्शन पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 23% कम था और सभी राज्यों को मुआवजा चुकाने के लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए उपलब्ध थे।

अप्रैल-जुलाई 2020 की चार महीने की अवधि के लिए राज्यों की क्षतिपूर्ति की जरूरत (अनंतिम) 1,51,365 करोड़ रुपए थी, जोकि 2019-20 के पूरे वर्ष की तुलना में 92% थी।<sup>16</sup> अनुलग्नक में तालिका 16 में अप्रैल-जुलाई 2020 की अवधि के लिए प्रत्येक राज्य के देय मुआवजे को प्रदर्शित किया गया है। जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 के अंतर्गत राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि 2020-21 का 20,000 करोड़ रुपए का पहला भुगतान केंद्र ने अक्टूबर 2020 में किया था।<sup>17</sup>

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 में केंद्र से अपेक्षित है कि वह राज्यों को मुआवजा फंड में उपलब्ध धनराशि से क्षतिपूर्ति दे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने फरवरी 2020 में अपने बजट भाषण में कहा था कि धनराशि का हस्तांतरण सिर्फ जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस कलेक्शन तक सीमित होगा।<sup>18</sup> हालांकि केंद्र पर पांच वर्ष तक राज्यों की क्षतिपूर्ति की जरूरत को पूरा करने की संवैधानिक बाध्यता है। उल्लेखनीय है कि जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 में जीएसटी परिषद को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह मुआवजा फंड में किसी और फंड/राशि को जमा करने का सुझाव दे। 27 अगस्त, 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने दो विकल्प सुझाए जिसकी मदद से राज्य 2020-21 में 2.3 लाख करोड़ रुपए के सेस कलेक्शन की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये विकल्प इस प्रकार हैं:

**विकल्प 1 (आंशिक उधारी):** पहले विकल्प के अंतर्गत राज्य 2020-21 में जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित कमी (1.1 लाख करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए उधार ले सकते हैं और बाकी का 2022 के बाद अधिक सेस कलेक्शन से देय होगा। 2.3 लाख करोड़ रुपए की कमी में से केंद्र सरकार ने जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण 1.1 लाख करोड़ रुपए की कमी को जिम्मेदार ठहराया है (यह मानकर कि 2020-21 में राज्यों के जीएसटी राजस्व में 7% की वृद्धि होगी) और शेष कमी के लिए कोविड-19 को। उल्लेखनीय है कि जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) एक्ट, 2017 में ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है, चूंकि यह राज्यों के वास्तविक राजस्व के आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना करता है। विकल्प 1 के अंतर्गत उधारियों के लिए मूल और ब्याज की प्रतिपूर्ति भविष्य के सेस कलेक्शन से की जाएगी।

**विकल्प 2 (पूर्ण उधारी):** दूसरे विकल्प में राज्य 2020-21 में 2.3 लाख करोड़ रुपए की पूरी राशि उधार ले सकते हैं। भविष्य के सेस कलेक्शन से सिर्फ मूल राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी, और ब्याज राज्यों को चुकाना होगा।

इस प्रकार विकल्प 2 में राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति गारंटी के जरिए धनराशि प्राप्त करने के लिए ब्याज भुगतान के रूप में व्यय को सहना होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने विकल्प 1 को चुना।<sup>19</sup> विकल्प 1 के अनुसार, केंद्र ने अक्टूबर 2020 में अपने उधारी के लक्ष्य को 1.1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया ताकि राज्यों को बैंक टू बैंक लोन दिए जा सकें। पिछले वर्षों से अलग, जब क्षतिपूर्ति अनुदान राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में इजाफा करते (और राजकोषीय घाटा कम होता), इन बैंक टू बैंक लोन्स से राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। हालांकि इन उधारियों को राज्यों को 2020-21 के लिए अनुमत सीमा (जीएसडीपी का 5%) के अतिरिक्त गिना जाएगा। 21 दिसंबर, 2020 तक राज्यों ने विकल्प 1 के अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए का उधार लिया।<sup>20</sup> पांच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम) ने विकल्प 1 के अंतर्गत अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, चूंकि केंद्र के अनुमानों के अनुसार जीएसटी के लागू होने के कारण उनके राजस्व में कोई फर्क नहीं आया है।<sup>20</sup>

**2022 के बाद राज्यों पर असर:** राज्यों को केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे की गारंटी है। जून 2022 के बाद मुआवजे पर निर्भर राज्यों को इन अनुदानों के न मिलने के कारण राजस्व की कमी से जूझना पड़ेगा


(विकल्प 1 के अंतर्गत कुछ समय के लिए 2020-21 के मुआवजे में विलंब होगा)। नतीजे के तौर पर राज्यों के पास कर और गैर कर स्रोतों से इस कमी को पूरा करने के लिए दो वर्ष का समय है, ताकि उनके राजस्व की संभावित कमी को दूर किया जा सके। यह उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें क्षतिपूर्ति अनुदान से राजस्व में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, जैसे 2019-20 में पंजाब का 20% और दिल्ली का 16%। 2018-19 और 2019-20 में प्रत्येक राज्य के क्षतिपूर्ति अनुदान को अनुलग्नक 2 की तालिका 7 में देखा जा सकता है।

### केंद्र के सकल कर राजस्व में सेस और सरचार्ज के बड़े हिस्से से राज्यों के हस्तांतरण में कमी

वित्त आयोग बताता है कि विभाज्य पूल में केंद्र और राज्यों का कितना हिस्सा होगा। करों से प्राप्त शुद्ध आय से यह पूल बनता है और इसे संविधान के अनुसार दोनों के बीच बांटा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 270 उन करों को निर्दिष्ट करता है जोकि इस विभाज्य पूल का हिस्सा होते हैं। इसमें केंद्र के वसूले गए सेस या सरचार्ज शामिल नहीं होते। नतीजतन, सेस और सरचार्ज के मिलकर बनने वाला राजस्व केंद्र का शुद्ध कर राजस्व होता है और इसे हस्तांतरण के हिस्से के रूप में राज्यों से साझा नहीं किया जाता।

आरबीआई (2019) ने कहा था कि केंद्र के सकल कर राजस्व (जीटीआर) में सेस और सरचार्ज का हिस्सा 1980-81 में 2.3% से बढ़कर 2019-20 में 15% हो गया।<sup>21</sup> इसका अर्थ यह है कि केंद्र जो कुल जीटीआर जमा करता है, वह हिस्सा जिसे राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है, पिछले वर्षों के दौरान बढ़ा है (रेखाचित्र 8)। जीटीआर में राज्यों का हिस्सा (हस्तांतरण) 2015-16 से लगभग 35% है, जब 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया था। जबकि विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 42% पर स्थिर हो गया, विभाज्य पूल का आकार और जीटीआर में उसका हिस्सा वर्ष दर वर्ष बढ़ा है- और इसके मुख्य कारणों में से एक यह है कि विभाज्य पूल में राजस्व की तुलना में वर्ष दर वर्ष सेस और सरचार्ज से प्राप्त राजस्व बढ़ रहा है।

**रेखाचित्र 8: केंद्र के सकल कर राजस्व में हस्तांतरण तथा सेस एवं सरचार्ज का हिस्सा**



Note: In 2019-20, devolution was cut to balance for the extra transfer of Rs 58,843 crore (~3% of GTR) done in 2018-19.  
Sources: Union Budget Documents; RBI; CGA; PRS.

**तालिका 1: 2012-2021 के दौरान केंद्र सरकार का सेस और सरचार्ज राजस्व (करोड़ रुपए में)**

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 संअ	2020-21 बअ
सेस और सरचार्ज राजस्व	91,700	1,04,300	1,15,800	1,71,711	2,17,844	2,03,315	3,16,611	3,37,433	3,70,218
वर्ष दर वर्ष वृद्धि	-	14%	11%	48%	27%	-7%	56%	7%	10%

Note: Cess and surcharge revenue does not include the GST compensation cess revenue. RE: Revised Estimate; BE: Budgeted Estimate.  
Sources: Union Budget Documents; Reserve Bank of India; PRS.

2012-20 की अवधि के दौरान केंद्र का सेस और सरचार्ज राजस्व जीडीपी के 0.9% से दोगुना होकर जीडीपी का 1.7% हो गया। इसकी तुलना में जीटीआर 2012-13 में जीडीपी के 10.4% से कम होकर 2019-20 में जीडीपी का 9.9% हो गया। इसका अर्थ यह है कि सेस और सरचार्ज तो काफी बढ़ा लेकिन जीटीआर में कर के हिस्से (जिसे राज्यों के साथ बांटा जाता है) में उतनी वृद्धि नहीं हुई। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल से प्राप्त होने वाली एक्साइज ड्यूटी से जीटीआर में वृद्धि अधिकतर सेस और सरचार्ज के रूप में होती है (तालिका 2)। अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान अर्थव्यवस्था संकुचित हुई और पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में जीटीआर 17% गिर गया।

हालांकि उपभोग में 20% की गिरावट के बावजूद पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में 41% की वृद्धि हुई (दरों में वृद्धि के कारण इसमें से अधिकतम सेस और सरचार्ज के जरिए)<sup>22</sup>

जुलाई 2017 में जीएसटी में कई सेस और सरचार्ज शामिल हो गए थे। हालांकि फाइनांस एक्ट, 2018 के अंतर्गत कई परिवर्तनों के कारण 2018-19 में केंद्र के सेस और सरचार्ज से प्राप्त राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई। इसके मुख्य कारण निम्न थे: (i) इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स पर सरचार्ज में बढ़ोतरी (इससे 2018-19 में सरचार्ज से प्राप्त राजस्व में 316% की बढ़ोतरी हुई), और (ii) पेट्रोल और डीजल पर कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी, दोनों के कर में 2 रुपए प्रति लीटर की गिरावट और सेस में उसी बराबर की बढ़ोतरी।<sup>23</sup>

### डीजल और पेट्रोल पर सेस और सरचार्ज

2018-19 में केंद्र को पेट्रोल और डीजल से 45% सेस और सरचार्ज प्राप्त हुआ। यह पेट्रोल और डीजल पर सरचार्ज और सड़क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस से अर्जित किया गया। सेस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स के वित्त पोषण के लिए वसूला जाता है। अप्रैल 2017 में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में सेस और सरचार्ज का हिस्सा क्रमशः 56% और 35% था। मई 2020 में उनका हिस्सा बढ़कर क्रमशः 91% और 85% हो गया। इस बीच विभाज्य पूल में एक्साइज ड्यूटी की राशि पेट्रोल और डीजल पर 6.5 रुपए प्रति लीटर कम हो गई।

तालिका 2: सेस और सरचार्ज की तुलना में करों में परिवर्तन (रुपए प्रति लीटर)

एक्साइज ड्यूटी	पेट्रोल		डीजल	
	अप्रैल-2017	मई-2020	अप्रैल-2017	मई-2020
कर	9.48	2.98	11.33	4.83
सेस और सरचार्ज	12.00	30.00	6.00	27.00
<b>कुल</b>	<b>21.48</b>	<b>32.98</b>	<b>17.33</b>	<b>31.83</b>


Sources: Petroleum Planning and Analysis Cell; PRS.

### स्वास्थ्य पर बजट आबंटन राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों के अनुरूप न होने की आशंका

कोविड-19 के प्रकोप के बाद देश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति पर सबका ध्यान गया। स्वास्थ्य क्षेत्र पर 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह (2019) ने कहा कि स्वास्थ्य पर अधिक धनराशि के आबंटन की जरूरत है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से संबंधित मुख्य लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।<sup>24</sup> राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017, जिसका लक्ष्य उत्तरोत्तर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करना है, ने सुझाव दिया है कि सरकार को 2025 तक स्वास्थ्य पर व्यय को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करना चाहिए।<sup>25</sup>

2020-21 में केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का 1.09% आबंटन किया था (2.45 लाख करोड़ रुपए)। राष्ट्रीय नीति के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर आबंटन को अगले चार वर्षों में काफी अधिक बढ़ाना होगा। हर वर्ष जीडीपी की औसत 0.35% बढ़ोतरी करनी होगी। 2015-16 और 2020-21 के बीच केंद्र और राज्यों का बजट आबंटन जीडीपी के 0.9% से बढ़कर 1.1% हो गया (छह वर्षों में जीडीपी के 0.2% की कुल वृद्धि)। राष्ट्रीय नीति ने यह सुझाव भी दिया था कि राज्यों के स्वास्थ्य व्यय को 2020 तक 8% या उससे अधिक बढ़ाया जाना चाहिए।<sup>25</sup>

रेखाचित्र 9: स्वास्थ्य हेतु बजटीय आबंटन (जीडीपी का %)




Note: The health expenditure by centre denotes expenditure on its own account excluding grants for centrally sponsored schemes. Sources: Annual Financial Statements of union and states; PRS.

2020-21 में राज्यों ने कुल मिलाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5.4% का आबंटन किया जोकि राष्ट्रीय नीति में सुझाए गए स्तर से काफी कम है। किसी भी बड़े राज्य ने अपने बजट के 8% या उससे अधिक का आबंटन नहीं किया। राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च करने का लचीलापन मिले, इसके लिए 14वें और 15वें वित्त आयोग (एफसी) ने सुझाव दिया था कि 2010-15 की अवधि (13वें एफसी) की तुलना में 2015-21 की अवधि के दौरान केंद्रीय करों में राज्यों को बड़ा हिस्सा दिया जाए (2010-15 में 32% की तुलना में 2015-21 में 42%)। जबकि

राज्यों ने 2010-15 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय के लिए औसत 4.8% का आबंटन किया था, 2015-21 में यह आबंटन बढ़कर 5.3% हो गया था। हालांकि रेखाचित्र 10 में प्रदर्शित होता है कि राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए राज्यों को निकट भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक आबंटन करना चाहिए।

**रेखाचित्र 10: कुल व्यय में स्वास्थ्य क्षेत्र के बजटीय आबंटन का हिस्सा**




Note: Delhi's health spending as a share of its budget is higher due to negligible allocations on police, agriculture, and rural development.  
Sources: State Budget Documents; PRS.

राज्य स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करें, इसके लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित उच्च स्तरीय समूह ने सुझाव दिया कि वित्त आयोग परफॉर्मेंस इनसेंटिव के रूप में राज्यों को अतिरिक्त संसाधन आबंटित करे।<sup>24</sup> उसने राज्यों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित संकेतकों के साथ एक फ्रेमवर्क का सुझाव दिया: (i) 2025 तक कुल बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आबंटित करने की दिशा में प्रगति करना, (ii) स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के प्रदर्शन के मानदंड जैसे स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों का संचालन, प्रति 1000 लोगों पर अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या, और पूर्ण टीकाकरण कवरेज, (iii) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली और प्रबंधन केंद्र की रचना, और (iv) स्टंटिंग (कुपोषण के कारण बच्चों का विकृत विकास) की दर में कमी।

### डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय स्थिति से राज्यों की आकस्मिक देनदारियां बहुत अधिक बढ़ीं

भारत में बिजली वितरण का काम अधिकतर राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (डिस्कॉम्स) करती हैं। डिस्कॉम्स की खराब वित्तीय स्थिति लगातार चिंता का विषय हैं। डिस्कॉम्स को बराबर नुकसान हो रहा है जिसका कारण निम्न टैरिफ और उच्च तकनीकी एवं कमर्शियल नुकसान है। चूंकि डिस्कॉम्स पर राज्य सरकारों का स्वामित्व है, वे अक्सर डिस्कॉम्स के लोन की गारंटी देती हैं। बिजली क्षेत्र की कंपनियों के 60% से अधिक लोन्स की गारंटी राज्य सरकारों ने दी है।<sup>21</sup> ये गारंटी राज्यों की आकस्मिक देनदारियां होती हैं, चूंकि राज्यों को इन्हें डिस्कॉम्स के डीफॉल्ट की स्थिति में चुकाना होता है। डिस्कॉम्स के लगातार घाटे और बकाया ऋण में बढ़ोतरी के चलते इन गारंटियों को लेने का जोखिम निकट भविष्य में और बड़ा संकट ला सकता है।

**रेखाचित्र 11: डिस्कॉम्स का कुल घाटा (करोड़ रुपए)**




Note: The above figure represents aggregate losses of state-owned distribution utilities, state-owned integrated generation and distribution utilities, state power departments, and public-private joint ventures of Delhi.  
Sources: Power Finance Corporation; PRS.

डिस्कॉम्स को समय-समय पर राज्य सरकारों से बेलआउट पैकेज की जरूरत होती है ताकि उनके नुकसान को कम किया जा सके। ऐसी ही कोशिश 2015 में उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस योजना (उदय) के जरिए की गई। ऋण की उच्च दर (मार्च 2015 में 4.3 लाख करोड़ रुपए) के कारण डिस्कॉम्स सस्ती दर पर पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहे थे।<sup>21</sup> डिस्कॉम्स के डीफॉल्ट ने बैंकिंग क्षेत्र और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।<sup>21</sup> 2015-16 और 2016-17 के बीच 15 राज्य सरकारों ने उदय के अंतर्गत राज्यों के स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स के 75% बकाया ऋण (लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए) का वहन किया।<sup>21</sup> उदय के अंतर्गत इन राज्यों को 2019-20 तक डिस्कॉम्स के नुकसान के एक हिस्से को भी वित्त पोषित करना था।

2015-16 और 2017-18 के बीच राज्य डिस्कॉम्स के कुल घाटे में गिरावट हुई।<sup>26</sup> हालांकि 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कुल घाटे में 68% की वृद्धि हुई (रेखाचित्र 11)। अगस्त 2020 तक आपूर्ति की लागत और उससे प्राप्त राजस्व के बीच कुल अंतर 0.38 रुपए प्रति यूनिट था।<sup>27</sup> डिस्कॉम्स पर बिजली उत्पादकों की देय राशि भी काफी बढ़ी है। बिजली उत्पादकों की बकाया राशि मार्च 2019 में 57,352 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2020 में 94,598 करोड़ रुपए हो गई (65% वृद्धि)।<sup>28</sup> दो राज्यों राजस्थान (33,249 करोड़ रुपए) और तमिलनाडु (15,036 करोड़ रुपए) का बकाया, कुल बकाया राशि में आधे से अधिक है (रेखाचित्र 12)। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन ने डिस्कॉम्स के बकाया देय को और बढ़ाया, चूंकि डिस्कॉम्स को लिक्विडिटी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। डिस्कॉम्स बिजली उत्पादकों का बकाया चुका सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम की घोषणा की।<sup>29</sup> स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ मूल्य के ऋण दिए जाएंगे और राज्य सरकारें इनकी गारंटी लेंगी (जीएसडीपी का लगभग 0.42%)।<sup>29</sup> अगर डिस्कॉम्स डीफॉल्ट करते हैं तो उस स्थिति में इस गारंटी से राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर होगा।<sup>29</sup>

**रेखाचित्र 12: मार्च 2020 के अंत तक बिजली उत्पादकों की बकाया राशि (करोड़ रुपए में)**



Source: PRAAPTI Portal, Ministry of Power as accessed on November 1, 2020; PRS.

इस वर्ष डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति और खराब हो सकती है, अगर बिजली की मांग कम होती है। प्रति यूनिट औसत राजस्व गिर सकता है, चूंकि औद्योगिक और कमर्शियल सेगमेंट में मांग में गिरावट अधिक स्पष्ट हो सकती है। ये दूसरे कंज्यूमर सेगमेंट्स जैसे आवास और कृषि को आंशिक रूप से सबसिडी देते हैं। दूसरी तरफ आपूर्ति की औसत लागत बढ़ सकती है क्योंकि बिजली खरीद आम तौर पर दीर्घावधि के कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए दिए जाते हैं जिनकी निश्चित और परिवर्तनशील लागत संरचना होती है, निश्चित लागत चुकानी ही होती है, भले ही बिक्री कितनी भी हो। आरबीआई (2020) ने कहा था कि लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम तत्काल चिंताओं को तो दूर करती है लेकिन घाटे में चलने वाले डिस्कॉम्स के लिए दूसरे दौर के बेलआउट्स भी जल्द होने चाहिए।<sup>29</sup> इससे भी राज्यों के वित्त पर बोझ बढ़ सकता है।


## राज्यों की वित्तीय स्थिति और प्रवृत्तियां

इस खंड में राज्यों की वित्तीय स्थिति और प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया है जोकि 2015-16 और 2020-21 की अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व, व्यय और घाटे के संबंध में उभरी हैं।

### अधिकतर राज्यों के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत स्वयं कर राजस्व; स्वयं गैर कर राजस्व सबसे छोटा

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में उनके अपने स्रोतों से प्राप्त राजस्व, और केंद्र से हस्तांतरण शामिल होता है। 2015-21 के दौरान राज्यों को अपने स्रोतों से 54% और केंद्रीय हस्तांतरणों से 46% राजस्व प्राप्त हुआ (रेखाचित्र 13)। स्वयं कर राजस्व में कर राजस्व (46%) और गैर कर राजस्व (8%) है। केंद्रीय हस्तांतरणों में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा (27%) और केंद्र से सहायतानुदान (19%) है। केंद्रीय करों में हिस्सा वित्त आयोग (एफसी) के सुझावों पर आधारित होता है। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए जो सुझाव दिए, उसके बाद 2019-20 की तुलना में 2020-21 में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा परिवर्तित हो गया। तालिका 3 में 14वें और 15वें वित्त आयोग के दौरान करों के अविभाज्य पूल में जोड़े गए हर 100 रुपए पर राज्यों को प्राप्त धनराशि के बीच तुलना की गई है।

रेखाचित्र 13: राज्यों की राजस्व प्राप्तियां (2015-21)



Note: Data for Jammu and Kashmir corresponds to 2020-21.  
Sources: State Budget Documents; PRS.

तालिका 3: हस्तांतरण में हिस्सा

राज्य	14 विआ (2015-20)	15 विआ (2020-21)	% परिवर्तन
AP	4.31	4.12	-4%
AR	1.38	1.76	27%
AS	3.31	3.12	-6%
BR	9.67	10.07	4%
CG	3.07	3.41	11%
GA	0.38	0.39	2%
GJ	3.10	3.39	10%
HP	0.71	0.80	13%
HR	1.10	1.07	-2%
JH	3.14	3.32	6%
JK	1.86	-	-
KA	4.71	3.63	-23%
KL	2.50	1.95	-22%
MG	0.64	0.76	18%
MH	5.52	6.15	11%
MN	0.62	0.71	14%
MP	7.55	7.88	4%
MZ	0.45	0.51	13%
NL	0.50	0.56	12%
OD	4.64	4.63	0%
PB	1.57	1.78	13%
RJ	5.50	5.98	9%
SK	0.36	0.39	9%
TN	4.02	4.20	4%
TR	0.64	0.71	10%
TS	2.43	2.12	-13%
UK	1.05	1.10	5%
UP	17.95	17.93	0%
WB	7.33	7.51	2%
<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Note: Jammu and Kashmir does not have any share in the divisible pool in 2020-21 as it is not a state anymore.


Sources: Finance Commission Reports; PRS.

राज्यों के हिस्से में निम्नलिखित कारणों से बदलाव हो सकते हैं: (i) राज्य के हिस्से का निर्धारण करने वाले मानदंड में परिवर्तन, (ii) प्रत्येक मानदंड को दिए गए वेटेज में बदलाव, और (iii) हस्तांतरित करों के प्रतिशत में परिवर्तन। 15वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि 2020-21 में केंद्र सरकार के कर राजस्व में राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाए, इससे पहले 14वें वित्त आयोग ने भी लगभग इतने ही हिस्से 42% का सुझाव दिया था। 15वें वित्त आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर भी ध्यान दिया था। 15वें वित्त आयोग के सुझावों पर अधिक विवरण के लिए कृपया अनुलग्नक 3 देखें।

हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों में स्वयं राजस्व का हिस्सा काफी अधिक है (राज्यों की कुल प्राप्तियों के 70% से अधिक) (रेखाचित्र 13)। दूसरी तरफ बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य और पूर्वोत्तर के राज्य अपने अधिकांश राजस्व के लिए केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भर हैं। अधिकतर राज्यों में कुल राजस्व में स्वयं गैर कर राजस्व का हिस्सा 6-16% के बीच है। गोवा 26% के साथ एक अपवाद है (राज्य में बिजली वितरण सरकारी विभाग के जरिए किया जाता है, जोकि अन्य राज्यों से अलग है)। रेखाचित्र 14 में यह देखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, और पूर्वोत्तर राज्य केंद्र के सहायतानुदानों पर तुलनात्मक रूप से अधिक निर्भर

हैं। हस्तांतरण से अलग, जिसे वित्त आयोग के मानदंड के आधार पर संवैधानिक रूप से प्रदान किया जाता है, अधिकतर अनुदान केंद्र द्वारा आबंटित होते हैं। अधिकतर अनुदान (जीएसटी क्षतिपूर्ति और राजस्व घाटा अनुदान के अतिरिक्त) विशिष्ट व्यय की प्राथमिकताओं के साथ टाइड यानी बंधे हुए होते हैं, और राज्यों को अधिक लचीलापन और विकल्प प्रदान नहीं करते। केंद्रीय करों पर अधिक निर्भरता राज्यों की स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक प्राथमिकताओं पर व्यय करने की क्षमता को सीमित करती है।

रेखाचित्र 14: राजस्व प्राप्तियों के घटक (2015-21, आंकड़े % में)



Note: As Delhi and Jammu and Kashmir are union territories, they do not have any share in the divisible pool of central taxes.

Sources: State Budget Documents; PRS.


### जीएसटीपी में राज्य के स्वयं कर राजस्व का हिस्सा 5%-8% के बीच

जैसा कि पहले भी चर्चा की गई है, स्वयं कर राजस्व 2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों के राजस्व का बड़ा स्रोत रहे हैं (कुल राजस्व का 46%)। आम तौर पर स्वयं कर राजस्व में निम्नलिखित से प्राप्तियां शामिल हैं: (i) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), (ii) सेल्स टैक्स/मूल्य संवर्धन कर (वैट), (iii) राज्य एक्साइज, (iv) स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, (v) बिजली पर टैक्स और ड्यूटी, और (vi) भू राजस्व।



स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात राज्य की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए टैक्स प्राप्त करने की क्षमता का मूल्यांकन होता है। उच्च अनुपात इस बात का संकेत होता है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों से करों को कैसे बेहतर तरीके से प्राप्त किया जाता है। 2015-16 और 2020-21 के दौरान औसत स्वयं कर-जीएसडीपी अनुपात 6.3% रहा है (रेखाचित्र 15)। अधिकतर राज्यों के लिए यह दर 5%-7.5% रही है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहां यह 2.5%-5% के बीच है।

**रेखाचित्र 15: जीएसडीपी में स्वयं कर का प्रतिशत (2015-21)**




Sources: RBI; State Budget Documents; PRS.

### भारत की कर क्षमता


वित्त आयोगों (10वें, 11वें, 12वें और 15वें) ने लगातार राज्यों के कर प्रदर्शन को पुरस्कृत करने के हस्तांतरण फार्मूले के मानदंड के तौर पर उनके कर प्रयासों को इस्तेमाल किया है।<sup>30</sup> केंद्र और राज्यों, दोनों की अपनी राजस्व प्राप्तियां, उनके कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं जोकि क्रमशः 89% और 87% है। 15वें वित्त आयोग ने कहा था कि भारत का कर संग्रह (केंद्र और राज्य दोनों का मिलाकर) उसकी अनुमानित कर क्षमता से काफी कम है, और 1990 के प्रारंभ से व्यापक रूप से अपरिवर्तनीय बना हुआ है।<sup>30</sup> दूसरी उभरते हुए बाजारों की तुलना में जीडीपी में कर राजस्व का प्रतिशत बढ़ रहा है।<sup>30</sup> आर्थिक सर्वेक्षण (2015-16) ने अनुमान लगाया था कि आर्थिक विकास और राजनैतिक प्रणाली के प्रकार (लोकतंत्र), दोनों के स्तर की गणना करने के बाद भारत का समूचा कर जीडीपी अनुपात (केंद्र और राज्यों का मिलाकर) दूसरे देशों की तुलना में जीडीपी के लगभग 5.5% से कम है।<sup>31</sup> जीडीपी में सरकारी व्यय का प्रतिशत जीडीपी के लगभग 6.2% से कम अनुमानित है।<sup>31</sup> 15वें वित्त आयोग ने कर क्षमता के मुख्य वाहकों में निम्नलिखित को चिन्हित किया है: (i) कर आधार को व्यापक बनाना, और (ii) कर प्रशासकों की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाना।<sup>30</sup> आर्थिक सर्वेक्षण (2015-16) ने कर संग्रह को बढ़ाने के महत्वपूर्ण उपायों में संपत्ति कराधान को विकसित करने पर बल दिया था।<sup>31</sup>

**रेखाचित्र 16: 2020 में जीडीपी में सरकार के सामान्य राजस्व का प्रतिशत (आईएमएफ अनुमान)**



Note: General government includes national and sub-national governments. Emerging Markets mean countries classified as "emerging markets and middle-income countries" by IMF. These include India, China, South Africa, Brazil, and others. Advanced Economies include USA, UK, Australia, Canada, and others. Revenue includes tax as well as non-tax revenues. Source: International Monetary Fund's Fiscal Monitor; PRS.

**रेखाचित्र 17: कर-जीडीपी अनुपात- भारत (2015-21)**




Source: Central and state budget documents; PRS.

## राज्यों के लिए स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत राज्य जीएसटी

राज्यों के स्वयं कर राजस्व को प्रत्यक्ष कर राजस्व और अप्रत्यक्ष कर राजस्व में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर में आय और संपत्ति से प्राप्त कर शामिल होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर शामिल होते हैं। राज्यों के प्रत्यक्ष करों के मुख्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) कृषि आय पर कर, (ii) भू राजस्व और (iii) स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। इस समय कृषि आय को आयकर की वसूली से छूट है, चाहे आय का स्तर कोई भी हो, इसमें असम जैसे राज्यों में बागान से वसूले जाने वाले कर अपवाद हैं।<sup>21</sup> राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले अप्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी), (ii) सेल्स टैक्स/मूल्य संवर्धन कर (वैट), (iii) राज्य एक्साइज ड्यूटी, (iv) वाहन कर, और (v) बिजली पर कर और ड्यूटी। राज्यों के स्वयं कर राजस्व का 75% से भी अधिक हिस्सा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है।

**एसजीएसटी:** 2018-19 और 2020-21 के बीच, एसजीएसटी राज्यों के स्वयं कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत रहा (41%) (रेखाचित्र 18)। जीएसटी के शुरू होने के साथ, राज्यों के कई अप्रत्यक्ष कर प्रतिस्थापित हो गए। जबकि इन करों पर प्रत्येक राज्य का नियंत्रण था, जीएसटी दरों को अब जीएसटी परिषद तय करती है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों के संबंध में फैसले लेने में राज्यों के पास सीमित अधिकार हैं। परिणामस्वरूप राज्यों को स्वयं कर राजस्व के एक बड़े हिस्से पर सीमित स्वायत्तता है, चूंकि एसजीएसटी की प्राप्तियां जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित कर दरों पर निर्भर हैं। जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर और मिजोरम जैसे राज्यों को 2020-21 में एसजीएसटी से 50% से अधिक स्वयं कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

**रेखाचित्र 1: स्वयं कर राजस्व में मुख्य करों का हिस्सा (2018-21, आंकड़े % में)**




Note: Meghalaya is not included in the figure as the SGST numbers are not available for 2019-20. Due to alcohol prohibition in place in Bihar and Gujarat, revenue from excise duty is nearly zero.

एसजीएसटी के बाद राज्यों के स्वयं कर राजस्व के सबसे बड़े स्रोत **सेल्स टैक्स/वैट (24%)** और **राज्य की एक्साइज ड्यूटी (12%)** है। सेल्स टैक्स/वैट और एक्साइज ड्यूटी मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों और एल्कोहल (ये दोनों उत्पाद जीएसटी प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं) पर वसूलियों से प्राप्त होते हैं। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के स्वयं कर राजस्व में सेल्स टैक्स/वैट का हिस्सा औसत से अधिक है।

राजस्व के अन्य मुख्य स्रोत में संपत्ति के ट्रांसपर या बिक्री पर लागू **स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस** शामिल हैं जिसका हिस्सा स्वयं कर राजस्व में लगभग 11% है। इस स्रोत से प्राप्त राजस्व कर दरों और उस संपत्ति के मूल्य पर निर्भर है जिन पर ये दरें लागू होती हैं। और संपत्ति का मूल्य राज्यों द्वारा समय-समय पर लागू भू दरों पर निर्भर है।

स्वयं कर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों में **वाहन (6%)** और **बिजली कर (3%)** शामिल हैं। अधिकतर राज्यों के लिए वाहनों पर कर का हिस्सा 4% से 7% के बीच अनुमानित है। गुजरात, पंजाब, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बिजली पर टैक्स और ड्यूटीज का हिस्सा औसत से अधिक है, जो क्रमशः 10%, 10%, 9% और 9% है (रेखाचित्र 19)।


**रेखाचित्र 19: स्वयं कर राजस्व में बिजली पर कर और ड्यूटी का हिस्सा (2018-21)**



Sources: State Budget Documents; PRS.

हालांकि राज्यों के स्वयं कर राजस्व में **भू राजस्व** का हिस्सा सिर्फ 1% है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों के स्वयं कर राजस्व में भू राजस्व का योगदान अधिक है जोकि क्रमशः 5%, 5% और 4% है (रेखाचित्र 20)।

**रेखाचित्र 20: स्वयं कर राजस्व में भू राजस्व का हिस्सा (2018-21)**



Sources: State Budget Documents; PRS.


### कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्यों के राजस्व बढ़ाने के उपाय

अप्रैल और मई 2020 के बीच राज्य सरकारों के स्वयं कर राजस्व में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 50% की गिरावट देखी गई। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर इयूटी बढ़ाई और 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एल्कोहल की इयूटी बढ़ा दी।<sup>29</sup> आरबीआई के अनुमानों (2020) के अनुसार, संबंधित राज्यों को इन उपायों से 0.03% से 0.35% जीएसडीपी का राजस्व लाभ हो सकता है।<sup>29</sup> कुछ राज्यों ने मौजूदा करों की दर बढ़ाई जबकि कुछ ने इन मदों पर नए सेस लगाए। उदाहरण के हरियाणा ने सभी प्रकार की शराब पर कोविड सेस लगाया है।<sup>32</sup> नागालैंड ने डीजल पर पांच रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल एवं अन्य मोटर स्परिट्स पर 6 रुपए प्रति लीटर का कोविड-19 सेस लगाया है।<sup>33</sup>

### राज्यों को बजटीय अनुमान से 9% कम राजस्व मिला, केंद्र के सहायतानुदान में सबसे अधिक कमी

2015-19 के दौरान राज्यों को अपने बजटीय अनुमान से 9% कम राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य इस कमी को पूरा करने के लिए और उधार ले सकते हैं जिससे वे बजटीय अनुमान के हिसाब से खर्च कर सकें। हालांकि उधारियां राज्यों के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानूनों द्वारा सीमित होती हैं, बहुत से राज्य उधारियों की सीमा का पालन करने के लिए अपने व्यय में कटौती कर देते हैं (देखें रेखाचित्र 32)। असम, त्रिपुरा और तेलंगाना के राजस्व में अपेक्षाकृत अधिक कमी देखी गई है जोकि क्रमशः 22%, 22% और 20% है (रेखाचित्र 21)।


#### रेखाचित्र 21: राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में कमी (2015-19)



Sources: State Budget Documents; PRS.


राजस्व प्राप्तियों की व्यापक चार श्रेणियों में से सबसे अधिक कमी केंद्र के सहायतानुदान (23%) और स्वयं कर राजस्व (10%) में आई है (रेखाचित्र 22)। 2015-19 की अवधि में अन्य राज्यों की तुलना में तेलंगाना (58%), असम (42%), त्रिपुरा (41%) और उत्तर प्रदेश (38%) में केंद्र के सहायतानुदान के वास्तविक आंकड़ों और बजट अनुमानों के बीच काफी अधिक अंतर देखा गया (रेखाचित्र 23)।

#### रेखाचित्र 22: बजट की तुलना में राजस्व में कमी (2015-19)



Sources: State Budget Documents; PRS.

#### रेखाचित्र 23: बजट अनुमानों और केंद्र से सहायतानुदान के वास्तविक आंकड़ों का अंतर (2015-19)




Sources: State Budget Documents; PRS.

## राज्यों ने 76% व्यय को राजस्व प्राप्तियों, 20% को उधारियों के जरिए वित्त पोषित किया

राज्यों के लिए अपने व्यय को वित्त पोषित करने का मुख्य स्रोत राजस्व प्राप्तियां होता है। 2015-21 की अवधि के दौरान 76% व्यय को राजस्व प्राप्तियों से वित्त पोषित किया गया। शेष व्यय के लिए राज्य पूंजीगत प्राप्तियों पर निर्भर रहे जोकि मुख्य रूप से उधारियां होती हैं। 2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों का 20% व्यय उधारियों से पूरा किया गया। पूंजीगत प्राप्तियों में राज्यों द्वारा दिए गए लोन्स की रिकवरी और भूमि जैसे एसेट्स की बिक्री तथा विनिवेश से मिलने वाली धनराशि शामिल होती है। राज्यों के व्यय को पूरा करने में पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा बहुत कम है (4%)। 2015-21 के दौरान अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब (45%), हरियाणा (30%) और पश्चिम बंगाल (30%) जैसे राज्य अपने व्यय के लिए उधारियों पर ज्यादा निर्भर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण राज्य अपने राजस्व के लिए उधारियों पर अधिक निर्भर हो सकते हैं।

**रेखाचित्र 24: 2015-21 की अवधि के दौरान व्यय का वित्त पोषण**




Sources: State Budget Documents; PRS.

## सभी राज्यों के कुल व्यय का बड़ा हिस्सा राजस्व व्यय

सरकार के व्यय को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: (i) राजस्व व्यय और (ii) पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय की प्रकृति आवर्ती होती है और इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सबसिडी शामिल होते हैं। पूंजीगत व्यय संपत्तियों के निर्माण और देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय में ऐसा पूंजीगत परिव्यय शामिल होता है जिनसे स्कूल, अस्पताल और सड़कें-पुल जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। पूंजीगत व्यय में लोन्स का पुनर्भुगतान (ताकि राज्य की देनदारियों का भार कम हो) और सरकार द्वारा दिए जाने वाले लोन्स और अग्रिम भी शामिल होते हैं। 2015-21 के दौरान राज्यों के कुल व्यय का 85% राजस्व व्यय और 15% पूंजीगत व्यय है (विश्लेषण के लिए व्यय से ऋण के घटक को हटाया गया है)।

**रेखाचित्र 25: 2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों के व्यय का संयोजन**



Note: Expenditure excludes debt repayment, and loans and advances given by the states.


Sources: State Budget Documents; PRS.

## राज्यों ने 50% राजस्व प्राप्तियों को प्रतिबद्ध व्यय की मदों पर खर्च किया

राज्यों के प्रतिबद्ध व्यय में आम तौर पर वेतन भुगतान, पेंशन और ब्याज भुगतान शामिल होते हैं। राज्य बजट का एक बड़ा अनुपात प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए आबंटित होने से विकास संबंधी दूसरे व्यय में कमी आ जाती है। 2015-21 के दौरान राज्यों ने औसत 50% राजस्व प्राप्तियों को प्रतिबद्ध व्यय (वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान) के

लिए खर्च किया (रेखाचित्र 26)। 26% राजस्व प्राप्तियां वेतन पर, 12% ब्याज भुगतान और 12% पेंशन पर खर्च हुईं। पंजाब प्रतिबद्ध व्यय पर सबसे अधिक (80%), फिर केरल (72%) और उत्तराखंड (71%) खर्च करता है। मध्य प्रदेश और बिहार प्रतिबद्ध व्यय पर औसत से कम खर्च करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वेतन पर उनकी राजस्व प्राप्तियों का कम हिस्सा खर्च होता है।

**रेखाचित्र 26: राजस्व प्राप्तियों में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा (2015-21)**




Sources: RBI, State Budget Documents; PRS.

### शिक्षा के लिए अधिक आबंटन; सड़कों और पुलों तथा सिंचाई पर सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय


14वें और 15वें वित्त आयोग के सुझावों के बाद केंद्र ने 2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों को कर का बड़ा हिस्सा हस्तांतरित किया (42%)। इससे राज्यों को अपनी प्राथमिकता के हिसाब से खर्च करने का ज्यादा लचीलापन मिला है। हालांकि शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक व्यय किया गया, 2015-21 के दौरान कुल व्यय में उसकी हिस्सेदारी में 2010-15 की तुलना में गिरावट आई है। दूसरी तरफ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं शहरी विकास के आबंटन में बढ़ोतरी हुई। 15वें वित्त आयोग के एक अध्ययन में कहा गया है कि राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क एवं पुलों तथा सिंचाई जैसे मुख्य क्षेत्रों पर लगभग एक बराबर खर्च करते हैं, भले ही शिक्षा के नतीजों, मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर, कनेक्टिविटी और सिंचाई क्षमता आदि के संकेतक कुछ भी हों।<sup>34</sup> अध्ययन में कहा गया कि आबंटन को रैशनलाइज करने की पूरी गुंजाइश है जिससे व्यय उस क्षेत्र में किया जाए, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। राज्यों के क्षेत्र वार व्यय पर अधिक विवरण के लिए कृपया अनुलग्नक 4 देखें।

रेखाचित्र 27: मुख्य क्षेत्रों के लिए आबंटन



Sources: State Budget Documents; PRS.

रेखाचित्र 28: पूंजीगत परिव्यय में मुख्य क्षेत्रों का हिस्सा




Sources: State Budget Documents; PRS.

2015-21 के दौरान राज्यों ने अपने पूंजीगत परिव्यय का सबसे बड़ा हिस्सा सड़कों और पुलों (23%), सिंचाई (20%), और बिजली (10%) पर खर्च किया (रेखाचित्र 28)। सिंचाई क्षेत्र का हिस्सा 2010-15 और 2015-21 के बीच कम हुआ है। जबकि ग्रामीण विकास, जलापूर्ति और सैनिटेशन तथा शहरी विकास जैसे क्षेत्रों पर अधिक खर्च किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

### राज्य अपना 24% बजट मानव विकास पर खर्च करते हैं

मानव विकास पर व्यय में शिक्षा, स्वास्थ्य और जलापूर्ति एवं सैनिटेशन के लिए किए गए आबंटन आते हैं। इन क्षेत्रों में व्यय का उद्देश्य नागरिकों की स्थिति में सुधार करना और मानव पूंजी के सृजन में सहायता करना है। 2015-21 और 2020-21 के दौरान राज्यों ने मानव विकास पर अपना 24% बजट खर्च किया। इनमें से सबसे अधिक आबंटन शिक्षा (16%) और स्वास्थ्य (5.3%) के लिए किया गया। दिल्ली मानव विकास (42%) पर सबसे अधिक खर्च करती है, इसके बाद असम (31%) और मेघालय (30%) का स्थान आता है।

रेखाचित्र 29: कुल व्यय में मानव विकास पर व्यय का हिस्सा (2015-21)




Sources: State Budget Documents; PRS.

### राज्य 31% बजट आर्थिक क्षेत्रों पर खर्च करते हैं

आर्थिक क्षेत्रों पर व्यय में कृषि, सिंचाई, शहरी एवं ग्रामीण विकास, आवासन, बिजली और सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु आबंटन शामिल होता है। 2015-16 और 2020-21 के दौरान राज्यों ने आर्थिक क्षेत्रों पर औसत 31% बजट खर्च

किया (रेखाचित्र 30)। इस अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ ने आर्थिक क्षेत्रों पर सबसे अधिक खर्च किया (44%), इसके बाद मध्य प्रदेश (39%) और तेलंगाना (38%) का स्थान आता है।

**रेखाचित्र 30: कुल व्यय में आर्थिक क्षेत्र पर व्यय का हिस्सा (2015-21)**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### राज्य प्रशासन और नागरिकों की सुरक्षा पर 6% बजट खर्च करते हैं

2015-21 के दौरान राज्यों ने पुलिस बल पर अपने बजट का 4% और प्रशासनिक सेवाओं जैसे जिला प्रशासन और लोक निर्माण पर 2% खर्च किया (रेखाचित्र 31)। इस अवधि में नागालैंड ने प्रशासन और नागरिकों की सुरक्षा पर सबसे अधिक खर्च किया (17%)।

**रेखाचित्र 31: प्रशासन और सुरक्षा पर व्यय (2015-21)**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### राज्यों ने 2015-19 के मुकाबले 8% कम खर्च किया

वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले अपने बजट को पेश करते हुए राज्य उस वर्ष के कुल व्यय का अनुमान लगाते हैं। चार वर्षों (2015-19) के बजट अनुमानों की तुलना वास्तविक व्यय से करने पर यह प्रदर्शित होता है कि राज्यों ने अपने बजट अनुमान का 8% कम खर्च किया। यह अंडरस्पेंडिंग यानी सामान्य से कम खर्च राज्यों के राजस्व संग्रह में कमी के कारण हो सकती है। इस अवधि के दौरान राज्यों ने सकारात्मक राजस्व परिकल्पनाएं कीं पर उनके राजस्व संग्रह में औसत 9% की कमी देखी गई (रेखाचित्र 21)। इस कमी के कारण राज्यों के व्यय के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। असम (25%), गोवा, तेलंगाना और त्रिपुरा (प्रत्येक में 19%) जैसे राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में 2015-19 के दौरान सबसे ज्यादा अंडरस्पेंडिंग हुई (रेखाचित्र 32)। इस अवधि के दौरान कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के बजट और वास्तविक आंकड़ों में सबसे कम अंतर देखा गया।

**रेखाचित्र 32: 2015-19 के दौरान राज्यों का अल्प व्यय**




Note: Expenditure denotes the sum of revenue expenditure and capital outlay.

Sources: State Budget Documents; PRS.



इस अवधि में राजस्व व्यय के मामले में औसत अंडरस्पेंडिंग 7% है। चूंकि राजस्व व्यय के बड़े हिस्से की प्रकृति प्रतिबद्ध है, पूंजीगत परिव्यय के मामले में गैर अनुपातिक रूप से लगभग 14% की अंडरस्पेंडिंग है। गोवा (50%), पंजाब (45%) और असम (42%) जैसे राज्यों में 2015-19 के दौरान बजट अनुमानों के मुकाबले परिव्यय में सबसे अधिक कटौती देखी गई। इन कटौतियों से सरकार के नेतृत्व में पूंजीगत निवेश पर बहुत अधिक असर हो सकता है चूंकि इस पूंजीगत परिव्यय का बड़ा हिस्सा केंद्र के बजाय राज्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 2020-21 में राज्यों द्वारा कुल मिलाकर पूंजीगत परिव्यय पर जीडीपी का 2.7% खर्च करने का अनुमान है जबकि केंद्र का पूंजीगत परिव्यय जीडीपी का 1.8% है।

**रेखाचित्र 33: 2015-19 के दौरान पूंजीगत परिव्यय में अल्प व्यय**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### सर्वाधिक क्षेत्रों में सामान्य से कम खर्च, बिजली पर बजटीय व्यय से अधिक

राज्य सरकारें जिन मुख्य क्षेत्रों पर खर्च करती हैं, 2015-19 की अवधि के दौरान उनमें आवास क्षेत्र पर सबसे अंडरस्पेंडिंग की गई (19%) (रेखाचित्र 34)। दूसरी तरफ राज्यों ने बिजली क्षेत्र पर अपने व्यय की जरूरत के हिसाब से 11% कम बजट दिया। कुछ राज्यों में 2015-17 के दौरान उदय को लागू करने के कारण बिजली क्षेत्र में बजट के हिसाब से वास्तविक व्यय अधिक रहा। ज्यादा अंडरस्पेंडिंग का अर्थ यह हो सकता है कि राज्य कुछ क्षेत्रों में अपने विकास के लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे हैं।

**रेखाचित्र 34: आवास पर सर्वाधिक अल्प व्यय, बिजली के लिए कम बजट (2015-19)**



Sources: State Budget Documents; PRS.


### 2015-21 की अवधि के दौरान 11 राज्यों में राजस्व घाटा

15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों में कहा गया था कि राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने की जरूरत है या नहीं, इस बात की समीक्षा की जाए। राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय अधिक होने पर राजस्व घाटा होता है। राजस्व घाटा का अर्थ यह होता है कि राज्यों को अपने व्यय को पूरा करने के लिए उधार लेना होगा जिससे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं होगा। राजस्व संतुलन इस बात का संकेत होता है कि राज्य के राजस्व स्रोत किसी वर्ष की उसकी राजस्व व्यय को जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। राजस्व अधिशेष को पूंजीगत परिव्यय करने या बकाया ऋण को

चुकाने में खर्च किया जा सकता है। जबकि उच्च राजस्व अधिशेष से अल्पावधि में परिसंपत्ति सृजन में अधिक व्यय किया जा सकता है, दीर्घावधि के लिए ऐसे अधिशेष राज्य द्वारा अपर्याप्त राजस्व व्यय का संकेत हो सकते हैं।

13वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यों का दीर्घावधि और स्थायी लक्ष्य शून्य राजस्व घाटा बरकरार रखना होना चाहिए। केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल द्वारा 13वें वित्त आयोग की अवधि (2014-15) के अंत तक राजस्व घाटा समाप्त करने की उम्मीद थी और अन्य राज्यों द्वारा 2011-12 या उससे पहले। 14वें वित्त आयोग ने इस सुझाव को दोहराया कि राज्यों को 2019-20 तक अपने राजस्व घाटे को समाप्त करना चाहिए। इसने लिए उसने कुछ राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान भी दिया। इसी प्रकार 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए मूल्य का राजस्व घाटा अनुदान दिया। हालांकि वित्त आयोग का अनुदान लेने के बावजूद आंध्र प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 2015-21 के दौरान राजस्व घाटा जारी है।

### रेखाचित्र 35: 2015-21 की अवधि के दौरान औसत राजस्व संतुलन (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)



Note: Arunachal Pradesh's average revenue surplus during this period is 14.8% of GSDP.

Sources: State Budget Documents; RBI; PRS.

औसत आधार पर 2015-21 की अवधि के दौरान 11 राज्यों में राजस्व घाटा देखा गया। अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान (जीएसडीपी का 2.1%), केरल (2%), आंध्र प्रदेश (2%), हरियाणा (1.9%), और पंजाब (1.9%) में अधिक राजस्व घाटा है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में राजस्व अधिशेष अधिक है। इसका कारण यह है कि उनकी राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय हस्तांतरणों का अधिक बड़ा हिस्सा है। कुछ राज्यों में राजस्व अधिशेष का कारण उनके अपने संसाधनों का बढ़ना हो सकता है। हालांकि कुछ राज्यों में उच्च राजस्व अधिशेष का कारण सार्वजनिक वस्तुओं का कम प्रावधान होना हो सकता है जिससे राजस्व व्यय में गिरावट होती है। जिन राज्यों में उच्च राजस्व अधिशेष हुआ है, वे हैं ओडिशा (2.3%), बिहार (1.5%), और उत्तर प्रदेश (1.4%)।


### 2017-21 के दौरान राज्यों का औसत राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.7%

अगर सरकार का व्यय उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है तो राजकोषीय घाटा होता है। सरकार के उच्च राजस्व घाटे का यह अर्थ है कि वित्तीय वर्ष में उधारियों की ज्यादा जरूरत होगी। राज्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए उधार ली गई राशि का इस्तेमाल कर सकता है जैसे पूंजीगत परिव्यय, प्रशासनिक खर्च, ब्याज भुगतान और लोन्स का पुनर्भुगतान। 2015 में 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्य अपने राजस्व घाटे को जीएसडीपी की 3% की सीमा के भीतर रखें। उसने सुझाव दिया था कि इस सीमा को अधिकतम 3.5% तक बढ़ाया जा सकता है, अगर राज्य अपने ऋण और ब्याज भुगतान को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखें। यह राहत निम्नलिखित मामलों में दी गई थी: (i) 0.25%, अगर राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात पिछले वर्ष 25% के भीतर था, और (ii) 0.25%, अगर राज्य का ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की उसकी राजस्व प्राप्तियों के 10% से कम या उसके बराबर था।

2015-16 और 2016-17 के बीच 15 राज्यों ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के दौरान संबंधित सरकारी स्वामित्व वाले डिस्कॉम्स के ऋण का वहन किया। इससे उन वर्षों में उनकी उधारियों की जरूरत बढ़ गई। 2017-21 के दौरान औसत 14 राज्यों ने जीएसडीपी की 3% की सीमा लांघ ली (रेखाचित्र 36)। इन राज्यों में से तीन राज्यों ने 3.5% की सशर्त सीमा के भीतर अपने राजकोषीय घाटे को बरकरार रखा। जिन राज्यों का राजकोषीय घाटा 3.5% की सीमा से अधिक हो गया, उनमें बिहार (4.6%) और आंध्र प्रदेश (4.2%) शामिल हैं। उल्लेखनीय है

कि 2020-21 में राज्यों को जीएसडीपी के 5% तक उधार लेने की अनुमति है, 2020-21 में उनके बजट अनुमान जोकि राहत से पहले जारी किए गए थे, 3% की पिछली सीमा और 3.5% की सशर्त सीमा के अनुसार ही हैं (मध्य प्रदेश एक अपवाद है जिसने जुलाई 2020 में अपना बजट पेश किया था)।

**रेखाचित्र 36: 2017-21 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में औसत राजकोषीय घाटे का हिस्सा**




Sources: State Budget Documents; RBI; PRS.

संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अनुसार, राज्य सरकारों को लोन लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है, अगर राज्य पर केंद्र सरकार का कोई लोन या गारंटी बकाया है। केंद्र सरकार की अनुमति अनुमानित जीएसडीपी के आंकड़ों पर आधारित होती है। चूंकि जीएसडीपी के वास्तविक आंकड़े अलग हो सकते हैं, राज्य बजटीय राजकोषीय घाटा जीएसडीपी अनुपात से अधिक उधार ले सकते हैं। कुछ मामलों में केंद्र सरकार वर्ष के दौरान 3% की सीमा से अधिक उधार लेने की अनुमति दे सकती है। इससे बजटीय राजकोषीय घाटे की तुलना में वास्तविक राजकोषीय घाटा अधिक हो सकता है।

### राज्य ने ऋण शोधन पर अपनी 23% राजस्व प्राप्तियां खर्च कीं

सरकारों से उम्मीद की जाती है कि वे ऋण शोधन का काम करेगी। आवर्ती ब्याज भुगतान करने के साथ-साथ वह ऋण की परिपक्वता पर मूल राशि चुकाएगी। ऋण शोधन की उच्च लागत से दूसरी प्राथमिकताओं पर व्यय करने में समस्या आती है। 2015-16 और 2020-21 के बीच राज्यों ने ऋण शोधन पर अपनी 23% राजस्व प्राप्तियों को व्यय किया (ऋण के पुनर्भुगतान पर 11.3% और ब्याज भुगतान पर 12.1%)। 2015-21 के दौरान पंजाब ने ऋण शोधन पर अपनी राजस्व प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा खर्च किया (84%)। नागालैंड (46%), पश्चिम बंगाल (43%), और हरियाणा (40%) अन्य राज्य हैं जो ऋण शोधन पर अपनी राजस्व प्राप्तियों का बड़ा भाग खर्च कर रहे हैं।

**रेखाचित्र 37: 2015-21 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ऋण भुगतान का हिस्सा**



Sources: State Budget Documents; PRS.


आरबीआई ने कहा है कि किसी राज्य का ऋण स्तर वहन करने योग्य है, अगर ब्याज भुगतान उसकी राजस्व प्राप्तियों के 10% से कम है।<sup>21</sup> 2020-21 में राज्यों द्वारा ब्याज भुगतान पर अपनी 11.7% राजस्व प्राप्तियों को खर्च करने का अनुमान है। 15 राज्यों के 10% से अधिक खर्च करने का अनुमान है। पंजाब (22%), हरियाणा (20%), और पश्चिम बंगाल (18%) जैसे राज्य 2020-21 में ब्याज भुगतान पर अपनी राजस्व प्राप्तियों का बड़ा अनुपात खर्च कर सकते हैं।

## 2020-21 के अंत तक राज्य सरकारों की बकाया देनदारियां जीएसडीपी का 26.6% अनुमानित

पिछले कई वर्षों में राज्यों की उधारियां जमा होकर बकाया देनदारियां बन जाती हैं। बकाया देनदारियों के अधिक होने से राज्यों पर आने वाले वर्षों में ऋण चुकाने की अधिक बाध्यता होती है। राज्यों के एफआरबीएम एक्ट्स आम तौर पर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देनदारियों की सीमा निर्दिष्ट करते हैं। ये सीमाएं सामान्यतया एक वर्ष में जीएसडीपी के 25% पर निर्धारित होती हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकार की बकाया देनदारियां आंशिक रूप से बढ़ी हैं, जिसका कारण मुख्य रूप से किसान ऋण माफी और उदय योजना के अंतर्गत ऋण का वहन है (रेखाचित्र 38)। 2020-21 के अंत तक राज्य सरकारों की बकाया देनदारियां उनके जीएसडीपी के 26.6% पर अनुमानित हैं।


उल्लेखनीय है कि 2020-21 में राज्यों के ज्यादा उधार लेने की आशंका है जिसके कारण बकाया देनदारियां बढ़ सकती हैं (उनकी जीएसडीपी के 5% तक) जोकि उनके बजट अनुमानों में नहीं गिनी गई हैं। 2020-21 के अंत तक 18 राज्यों के 25% की सीमा पार करने की उम्मीद है (रेखाचित्र 39)। अरुणाचल प्रदेश (41.7%), मिजोरम (40.9%), और पंजाब (38.7%) जैसे राज्यों पर औसत से काफी अधिक देनदारियां हैं। 2017 में एफआरबीएम रिव्यू कमिटी (चेयर: एन. के. सिंह) ने सुझाव दिया था कि पूरे देश के लिए ऋण जीडीपी अनुपात 60% पर लक्षित होना चाहिए जिसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% की सीमा होनी चाहिए।<sup>35</sup> 2020-21 में 26 राज्यों ने जीएसडीपी के 20% से अधिक की बकाया देनदारियों का अनुमान लगाया है।

**रेखाचित्र 38: राज्यों की कुल बकाया देनदारियां (जीएसडीपी के % के रूप में)**



Sources: RBI; PRS.

**रेखाचित्र 39: 2020-21 के अंत में बकाया देनदारियां (जीएसडीपी के % के रूप में)**



Sources: RBI; PRS.

### मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति पर कोविड-19 का असर: मध्य प्रदेश का उदाहरण

राज्य अपने एफआरबीएम वक्तव्यों में आने वाले तीन वर्षों के लिए मुख्य राजकोषीय संकेतकों के लिए लक्ष्य प्रदान करते हैं। ये कानून राज्यों के वित्त के लिए मध्यम अवधि के रोडमैप के तौर पर काम करते हैं। अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को 2020-21 में जीएसडीपी के 5% तक उधार लेने की अनुमति दी है। उन्हें 2019-20 में अतिरिक्त उधारियों की भी अनुमति दी गई है (कुल 58,843 करोड़ रुपये) क्योंकि 2019-20 में हस्तांतरण में कमी हुई है जिसकी वजह अर्थव्यवस्था में मंदी और 2018-19 में अतिरिक्त हस्तांतरण का समायोजन है।<sup>36</sup> 2019-20 के एफआरबीएम वक्तव्य में मध्य प्रदेश (जुलाई 2019 में पेश) को राजस्व अधिशेष को बरकरार रखने, राजकोषीय घाटे के 3% की सीमा में रहने और 2022-23 तक बकाया देनदारियों में कम वृद्धि होने की उम्मीद थी। मध्य प्रदेश ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2020 में 2020-21 का अपना बजट पेश किया था। 2020-21 के एफआरबीएम वक्तव्य में इस बात का संकेत था कि 2022-23 तक राज्य की उधारियों की जरूरत बढ़ सकती है। परिणामस्वरूप बकाया देनदारियों के 2022-23 तक जीएसडीपी के 31.2% तक होने की उम्मीद है जोकि 2019-20 के अनुमान (जीएसडीपी का 24.8%) से काफी अधिक है।

तालिका 4: मध्य प्रदेश के राजकोषीय संकेतक- अनुमान बनाम बजट अनुमान (जीएसडीपी के % के रूप में)

मद	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 संशोधित अनुमान	2020-21 (2019-20 अनुमान)	2020-21 बजट अनुमान	2022-23 (2019-20 अनुमान)	2022-23 (2020-21 अनुमान)
राजस्व संतुलन	0.8%	-0.3%	>0%	-1.9%	>0%	>0%
राजकोषीय घाटा	3.3%	3.6%	2.8%	5.0%	2.8%	3.8%
बकाया देनदारियां	24.4%	25.0%	24.6%	28.8%	24.8%	31.2%


Note: The projection denotes the target as per that year's FRBM statement.

Source: Madhya Pradesh FRBM statements of 2019-20 and 2020-21; PRS.

### 2018-19 में राज्यों की बकाया गारंटी जीएसडीपी की 2.8%

राज्य की बकाया देनदारियों में कुछ ऐसी देनदारियां शामिल नहीं होतीं जिनकी प्रकृति आकस्मिक होती है और कुछ स्थितियों में राज्यों को उन्हें चुकाना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य स्तरीय उपक्रम (एसपीएसईज़) वित्तीय संस्थानों से जो उधारियां लेते हैं, राज्य उनकी गारंटी लेते हैं। चूंकि इन उपक्रमों का क्रेडिट प्रोफाइल बहुत खराब है और सरकारी गारंटी से उनके लिए लोन लेना आसान होता है। आरबीआई ने कहा था कि ये आकस्मिक देनदारियां राज्य सरकारों के लिए खतरा हैं जिन पर एसपीएसईज़ के बकाया ऋण और घाटे का भार होता है। 2018-19 के अंत तक राज्यों ने अपनी जीएसडीपी के 2.8% की गारंटी दी थी (सभी राज्यों के उपलब्ध डेटा के अनुसार)। 2018-19 के अंत तक 11 राज्यों की बकाया सरकारी गारंटी उनकी जीएसडीपी की 1% से कम थीं (रेखाचित्र 40)। सिक्किम (12%), तेलंगाना (9%), और राजस्थान (7.5%) की बकाया देनदारियों का स्तर सबसे अधिक था।

### रेखाचित्र 40: 2018-19 के अंत में जीएसडीपी में बकाया सरकारी गारंटी का हिस्सा



Sources: RBI; PRS.

आरबीआई (2020) ने कहा था कि 2017-18 से गारंटियों की शुद्ध वृद्धि में काफी अधिक उछाल आया।<sup>29</sup> आरबीआई के अनुमानों के अनुसार, 2016-17 के अंत तक राज्यों की बकाया गारंटी जीडीपी का 2% थी और 2019-20 के अंत तक यह बढ़कर 3% हो जाएगी।<sup>29</sup> आरबीआई (2019) ने यह भी कहा कि हालांकि राज्यों की गारंटियां का स्तर फिलहाल सामान्य है लेकिन राज्य सरकारों के पास इतनी वित्तीय गुंजाइश नहीं है कि गारंटियों का अतिरिक्त भार उठा सकें।<sup>29</sup> मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम डिस्कॉम्स को 90,000 करोड़ रुपए मूल्य का लोन प्रदान करेंगे।<sup>29</sup> बिजली उत्पादकों को डिस्कॉम्स की देनदारियों के निर्वहन के विशेष उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों की गारंटी पर ऋण दिया जाएगा। नतीजतन, 2020-21 में राज्य सरकारों की देनदारियों में लगभग 0.42% का इजाफा हो सकता है।<sup>29</sup>

## अनुलग्नक 1: 2020-21 के लिए राज्यों का राजकोषीय घाटा

तालिका 5: 2020-21 में राज्यों के लिए मंजूर राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपए में), 20 दिसंबर, 2020 तक

राज्य	बिना शर्त* (जीएसडीपी का 4%)	सशर्त (जीएसडीपी का 1%)	अब तक अनुमत (जीएसडीपी के सशर्त 1% में से)^	2020-21 के लिए उपलब्ध कुल राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 5%)
आंध्र प्रदेश	40,408	10,102	5,051	50,510
अरुणाचल प्रदेश	1,142	286	0	1,428
असम	14,954	3,738	0	18,692
बिहार	25,846	6,462	0	32,308
छत्तीसगढ़	14,334	3,584	0	17,918
गोवा	3,570	892	223	4,462
गुजरात	69,632	17,408	4,352	87,040
हरियाणा	34,346	8,586	2,147	42,932
हिमाचल प्रदेश	7,014	1,754	0	8,768
झारखंड	14,120	3,530	0	17,650
कर्नाटक	72,144	18,036	9,018	90,180
केरल	36,174	9,044	2,261	45,218
मध्य प्रदेश	37,966	9,492	4,746	47,458
महाराष्ट्र	1,23,152	30,788	0	1,53,940
मणिपुर	1,206	302	0	1,508
मेघालय	1,550	388	0	1,938
मिजोरम	1,054	264	0	1,318
नागालैंड	1,256	314	0	1,570
ओडिशा	22,864	5,716	0	28,580
पंजाब	24,262	6,066	0	30,328
राजस्थान	43,698	10,924	0	54,622
सिक्किम	1,246	312	0	1,558
तमिलनाडु	77,014	19,254	4,814	96,268
तेलंगाना	40,136	10,034	5,017	50,170
त्रिपुरा	2,376	594	149	2,970
उत्तर प्रदेश	77,622	19,406	4,852	97,028
उत्तराखंड	11,238	2,810	0	14,048
पश्चिम बंगाल	54,298	13,574	0	67,872
<b>कुल</b>	<b>8,54,622</b>	<b>2,13,660</b>	<b>42,628</b>	<b>10,68,282</b>

Note: \*Of this, 0.5% of GSDP was conditional on states choosing Option 1 for GST compensation borrowing, which has been done by all states. ^All states indicated have implemented the one nation one ration card reform except for MP and TN. MP and TN have implemented the ease of doing business reform, along with AP, KA, and TS. MP has also implemented the urban local body/ utility reform. The reform implementation data has been collected from various press releases, so the latest reform status may not match with the data for some states.

Sources: Unstarred Question No. 206, September 14, 2020, Lok Sabha; Ministry of Finance; PRS.

## अनुलग्नक 2: राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति

तालिका 6: अप्रैल-जुलाई 2020 की अवधि के लिए राज्यों का बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान (करोड़ रुपए में)

राज्य	2019-20 (पूर्ण वर्ष)	अप्रैल-जुलाई 2020 (चार महीने)	2019-20 के लिए अपेक्षित क्षतिपूर्ति की तुलना में बकाया देय का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	3,028	4,627	153%
अरुणाचल प्रदेश	0	0	-
असम	1,284	2,149	167%
बिहार	5,464	4,493	82%
चंडीगढ़	4,521	2,827	63%
दिल्ली	8,424	6,931	82%
गोवा	1,093	987	90%
गुजरात	14,801	11,563	78%
हरियाणा	6,617	5,841	88%
हिमाचल प्रदेश	2,477	1,623	66%
जम्मू एवं कश्मीर	3,281	2,104	64%
झारखंड	2,219	2,475	112%
कर्नाटक	18,628	13,763	74%
केरल	8,111	7,077	87%
मध्य प्रदेश	6,538	5,863	90%
महाराष्ट्र	19,233	22,485	117%
मणिपुर	0	53	-
मेघालय	157	255	162%
मिजोरम	0	6	-
नागालैंड	0	27	-
ओडिशा	5,122	3,633	71%
पुदुच्चेरी	1,057	564	53%
पंजाब	12,187	6,959	57%
राजस्थान	6,710	6,312	94%
सिक्किम	0	69	-
तमिलनाडु	12,305	11,269	92%
तेलंगाना	3,054	5,424	178%
त्रिपुरा	293	259	88%
उत्तर प्रदेश	9,123	11,742	129%
उत्तराखंड	3,375	2,235	66%
पश्चिम बंगाल	6,200	7,750	125%
<b>कुल क्षतिपूर्ति</b>	<b>1,65,302</b>	<b>1,51,365</b>	<b>92%</b>

Sources: Unstarred Question No. 206, September 14, 2020, Lok Sabha; Ministry of Finance; PRS.

तालिका 7: 2018-19 और 2019-20 में राज्यों के लिए अपेक्षित जीएसटी क्षतिपूर्ति (करोड़ रुपए में)

राज्य	2018-19		2019-20		अपेक्षित क्षतिपूर्ति की दर में वृद्धि
	राशि	राजस्व के % के रूप में	राशि	राजस्व के % के रूप में	
आंध्र प्रदेश	0	-	3,028	3%	-
असम	455	1%	1,284	1%	182%
बिहार	2,798	2%	5,464	4%	95%
छत्तीसगढ़	2,592	4%	4,521	7%	74%
दिल्ली	5,185	12%	8,424	16%	62%
गोवा	502	5%	1,093	9%	118%
गुजरात	7,227	5%	14,801	10%	105%
हरियाणा	3,916	6%	6,617	10%	69%
हिमाचल प्रदेश	1,935	6%	2,477	8%	28%
जम्मू एवं कश्मीर	1,667	3%	3,281	5%	97%
झारखंड	1,098	2%	2,219	4%	102%
कर्नाटक	12,465	8%	18,628	11%	49%
केरल	3,532	4%	8,111	9%	130%
मध्य प्रदेश	3,302	3%	6,538	4%	98%
महाराष्ट्र	9,363	3%	19,233	7%	105%
मेघालय	66	1%	157	2%	138%
ओडिशा	3,785	4%	5,122	5%	35%
पंजाब	8,239	13%	12,187	20%	48%
राजस्थान	2,280	2%	6,710	5%	194%
तमिलनाडु	4,824	3%	12,305	7%	155%
तेलंगाना	0	-	3,054	3%	-
त्रिपुरा	172	1%	293	3%	70%
उत्तर प्रदेश	0	-	9,123	3%	-
उत्तराखंड	2,442	8%	3,375	11%	38%
पश्चिम बंगाल	2,615	2%	6,200	4%	137%

Note: Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, and Sikkim did not require any compensation in 2018-19 and 2019-20.

\*Revenue for the year 2019-20 does not take into account the GST compensation grants payable to states in 2019-20 but released by Centre in 2020-21. The percentage figures would be slightly lower if such grants are included in 2019-20 revenue.

Sources: State Budget Documents; Ministry of Finance; Lok Sabha Questions; CAG; PRS.

### अनुलग्नक 3: 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग के सुझाव

15वें वित्त आयोग (चेयर: एन. के. सिंह) को दो रिपोर्ट सौंपनी थीं। पहली रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सुझाव हैं, और इसे 1 फरवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखा गया था। दूसरी रिपोर्ट में 2021-26 की अवधि के लिए सुझाव हैं और इसे 16 नवंबर, 2020 को राष्ट्रपति को सौंपा जाना था लेकिन अभी तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। पहली रिपोर्ट (2020-21 की अवधि) के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:



**केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा:** केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से को 2015-20 में 42% से कम करके 2020-21 में 41% करने का सुझाव दिया गया है। यह 1% की कटौती जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के नए गठित केंद्र शासित प्रदेशों को हिस्सा देने के लिए की गई है। तालिका 8 में प्रदर्शित किया गया है कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य को हिस्सा देने के लिए किन मानदंडों का इस्तेमाल किया है और प्रत्येक मानदंड को कितना मान दिया गया है।

**जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल:** आयोग के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) ने यह अपेक्षित है कि सुझाव देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार आयोग ने सुझाव देने के लिए सिर्फ 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। इसके विपरीत राज्यों के जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन मानदंड को प्रस्तुत किया। प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात के

प्रतिलोम को 1971 की जनसंख्या से गुणा कर दिया जाता है, और इसी आधार पर इसकी गणना की जाती है। निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर अधिक अंक मिलेंगे।

**राजस्व घाटा अनुदान:** आयोग ने 14 राज्यों को 74,340 करोड़ रुपए मूल्य के हस्तांतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान का सुझाव दिया है।

**क्षेत्र विशेष और प्रदर्शन आधारित अनुदान:** आयोग ने 2020-21 में पोषण के लिए 7,375 करोड़ रुपए के अनुदान का सुझाव दिया। आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट अनुदान देगा: (i) पोषण, (ii) स्वास्थ्य, (iii) प्री-प्राइमरी शिक्षा, (iv) ज्यूडीशियरी, (v) ग्रामीण कनेक्टिविटी, (vi) रेलवे, (vii) पुलिस प्रशिक्षण, और (viii) आवास। वह अंतिम

अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित के लिए कुछ प्रदर्शन आधारित अनुदान भी प्रदान किया जाएगा: (i) कृषि सुधारों को लागू करना, (ii) आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स का विकास, (iii) बिजली क्षेत्र के सुधार, (iv) निर्यात सहित व्यापार को बढ़ाना, (v) शिक्षा के लिए इनसैटिव्स, और (vi) पर्यटन को संवर्धन।

**जीएसटी को लागू करना:** आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने से जुड़ी कुछ समस्याओं का उल्लेख किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मूल पूर्वानुमान की तुलना में कलेक्शन में बड़ी कमी, (ii) कलेक्शन में भारी उतार चढ़ाव, (iii) एकीकृत जीएसटी क्रेडिट का बड़ी मात्रा में जमा होना, (iv) इनवॉयस और इनपुट क्रेडिट मैचिंग में गड़बड़ियां, और (v) रीफंड में देरी। आयोग ने कहा कि राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए राज्य केंद्र सरकार की क्षतिपूर्ति पर लगातार निर्भर रहते हैं (2018-19 में 29 में से 21 राज्य), और यह एक चिंता की बात है। उसने सुझाव दिया कि कम उपभोग वाले राज्यों पर जीएसटी के संरचनात्मक प्रभाव के संबंध में विचार किए जाना चाहिए।

**सुरक्षा संबंधी व्यय का वित्त पोषण:** आयोग के टीओआर में इस बात की समीक्षा करने को कहा गया है कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग के फंडिंग प्रणाली बनाई जानी चाहिए और अगर ऐसा है तो वह कैसे काम करेगा। इस संबंध में आयोग ने रक्षा, गृह मामलों और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाला एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था। आयोग ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव रखा था: (i) नॉन लैप्सेबल फंड बनाना, (ii) सेस वसूलना, (iii) अतिरिक्त जमीन और दूसरे एसेट्स का मुद्रीकरण, (iv) टैक्स-फ्री डिफेंस बॉन्ड्स, और (v) सार्वजनिक के रक्षा उपकरणों के विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग। एक्सपर्ट ग्रुप इन प्रस्तावों या वैकल्पिक वित्त पोषण पर विचार कर सकते हैं।

**तालिका 8: हस्तांतरण का मानदंड (2020-21)**

मानदंड	14 विआ 2015-20	15 विआ 2020-21
आय का अंतर	50.0	45.0
जनसंख्या (1971)	17.5	-
जनसंख्या (2011)	10.0	15.0
क्षेत्र	15.0	15.0
वन क्षेत्र	7.5	-
वन और पारिस्थितिकी	-	10.0
जनसांख्यिकी प्रदर्शन	-	12.5
कर प्रयास	-	2.5
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Note: Income distance is the distance of the state's income from the state with the highest income, where income is expressed as GSDP per capita. Sources: Report for the year 2020-21, 15<sup>th</sup> Finance Commission; PRS.

**बजटेतर उधारियां:** आयोग ने कहा कि बजटेतर उधारियों के जरिए पूंजीगत व्यय को वित्त पोषित करने से एफआरबीएम एक्ट का अनुपालन बाधित होता है। उसने सुझाव दिया केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों को बजटेतर उधारियों का पूरा खुलासा करना चाहिए। बकाया बजटेतर देनदारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से खत्म करना चाहिए।

**सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क:** आयोग ने सुझाव दिया कि एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए जोकि अच्छी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क बनाने हेतु कानून का ड्राफ्ट तैयार करे। उसने कहा कि एक व्यापक राजकोषीय फ्रेमवर्क की जरूरत है जोकि सभी सरकारी स्तरों पर बजटीय, एकाउंटिंग और ऑडिट स्टैंडर्ड्स प्रदान करेगा।


#### अनुलग्नक 4: मुख्य क्षेत्रों पर राज्यों का व्यय

इस खंड में 2015-21 की अवधि में मुख्य क्षेत्रों पर राज्यों के व्यय का विवरण दिया गया है। विशेष क्षेत्र पर व्यय के हिस्से से पता चलता है कि राज्य के बजट में उस क्षेत्र का कितना हिस्सा है। किसी क्षेत्र पर व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय का योग होता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदानों और अन्य अनुदानों के रूप में धनराशि देने से किसी क्षेत्र पर होने वाला व्यय प्रभावित होता है। दिल्ली का क्षेत्रगत व्यय अन्य राज्यों से अलग हो सकता है क्योंकि वहां पुलिस केंद्र के अंतर्गत आती है और राज्य में ग्रामीण या कृषि क्षेत्र न के बराबर हैं।

#### शिक्षा

2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों ने शिक्षा क्षेत्र पर अपने बजट का औसत 15.9% खर्च किया। इसमें 0.5% बजट पूंजीगत परिव्यय पर, और 15.4% राजस्व व्यय पर खर्च किया गया। इसमें योजनाओं (जैसे सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना), स्कूल की इमारतों के निर्माण और रखरखाव तथा शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान पर व्यय शामिल है।

**रेखाचित्र 41: दिल्ली शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च करती है**




Sources: State Budget Documents; PRS.

#### कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

इस मद के व्यय में सबसिडी, कृषि मार्केटिंग, फसल पालन, बागवानी, कृषि ऋण की माफी (कुछ राज्यों में) और कार्यान्वयन योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर व्यय शामिल हैं। 2015-21 के दौरान राज्यों ने कृषि अपना 6.4% बजट खर्च किया। इसमें 0.5% पूंजीगत परिव्यय और 5.9% राजस्व व्यय है।

### रेखाचित्र 42: चंडीगढ़ कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर सबसे अधिक खर्च करता है




Sources: State Budget Documents; PRS.

### ग्रामीण विकास

इस क्षेत्र में व्यय में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और स्वच्छ भारत मिशन, का कार्यान्वयन शामिल है। 2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों ने ग्रामीण विकास पर औसत 5.9% खर्च किया। इसमें पूंजीगत परिव्यय पर 1% और राजस्व व्यय पर 4.9% खर्च किया गया।

### रेखाचित्र 43: झारखंड ग्रामीण विकास पर सबसे ज्यादा खर्च करता है




Sources: State Budget Documents; PRS.

### बिजली

इस मद में उपभोक्ताओं को सबसिडी, पावर प्रॉजेक्ट्स के लिए आबंटन और कुछ राज्यों में उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम्स को सहायता पर होने वाला व्यय शामिल है। 2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों ने बिजली क्षेत्र पर अपने बजट का औसत 5.7% खर्च किया है। इसमें पूंजीगत परिव्यय पर 1.5% और राजस्व बजट पर 4.2% खर्च किया गया।

### रेखाचित्र 44: गोवा बिजली पर सबसे ज्यादा खर्च करता है




Note: Expenditure on energy in Goa is higher as electricity distribution in the state is through a state department unlike in other states.

Sources: State Budget Documents; PRS.

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

2015-21 के दौरान राज्यों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर अपने बजट का औसत 5.3% खर्च किया। इसमें 0.5% पूंजीगत परिव्यय और 4.8% राजस्व व्यय पर खर्च किया गया। इसमें आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं पर, और अस्पतालों के निर्माण और रखरखाव पर होने वाला खर्च शामिल है।

**रेखाचित्र 45: दिल्ली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर सबसे ज्यादा खर्च करती है**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### सड़क एवं पुल

2015-21 के दौरान राज्यों ने सड़कों और पुलों पर अपने बजट का 4.7% खर्च किया। इसमें 3.4% बजट पूंजीगत परिव्यय और 1.3% बजट राजस्व व्यय पर खर्च हुआ।

**रेखाचित्र 46: अरुणाचल प्रदेश सड़क और पुलों पर सबसे ज्यादा खर्च करता है**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### पुलिस

2015-21 के दौरान राज्यों ने पुलिस पर अपना 4.2% बजट खर्च किया। इसमें पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 0.3% और राजस्व व्यय का हिस्सा 3.9% है।

**रेखाचित्र 47: मणिपुर पुलिस पर सबसे ज्यादा खर्च करता है**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### सामाजिक सुरक्षा

2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा पर औसत 4.1% बजट खर्च किया। इसमें 0.1% पूंजीगत परिव्यय पर खर्च किए गए और 4% राजस्व व्यय पर।

**रेखाचित्र 48: पश्चिम बंगाल सामाजिक सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है**




Sources: State Budget Documents; PRS.

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर बजट का 4% खर्च किया। इसमें 3% पूंजीगत परिव्यय था, और 1% राजस्व व्यय है।

रेखाचित्र 49: तेलंगाना सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर सबसे ज्यादा खर्च करता है




Sources: State Budget Documents; PRS.

## शहरी विकास

2015-21 की अवधि के दौरान राज्यों ने औसत 3.1% शहरी विकास पर खर्च किया। इसमें पूंजीगत परिव्यय 0.7% और 2.4% राजस्व व्यय है।

रेखाचित्र 50: गुजरात शहरी विकास पर सबसे ज्यादा खर्च करता है




Sources: State Budget Documents; PRS.

## एसी, एसटी और ओबीसी कल्याण

2015-21 के दौरान राज्यों ने एससी, एसटी और ओबीसी कल्याण पर अपने बजट का औसत 2.9% खर्च किया। इसमें पूंजीगत परिव्यय 0.3% है और राजस्व व्यय 2.6% है।

रेखाचित्र 51: आंध्र प्रदेश एससी, एसटी और ओबीसी कल्याण पर सबसे ज्यादा खर्च करता है




Sources: State Budget Documents; PRS.

## जलापूर्ति और सैनिटेशन

2015-21 के दौरान राज्यों ने जलापूर्ति और सैनिटेशन पर अपने बजट का औसत 2.3% खर्च किया। इसमें पूंजीगत परिव्यय पर 1.2% और राजस्व व्यय पर 1.1% खर्च किया गया।

**रेखाचित्र 52: अरुणाचल प्रदेश जलापूर्ति और सैनिटेशन पर सबसे ज्यादा खर्च करता है**




Sources: State Budget Documents; PRS.

### आवास

2015-21 के दौरान राज्यों ने आवास क्षेत्र पर अपने बजट का औसत 1.3% खर्च किया। इसमें पूंजीगत परिव्यय पर 0.3% और राजस्व व्यय पर 1% खर्च किया गया।

**रेखाचित्र 53: बिहार आवास पर सबसे ज्यादा खर्च करता है**



Sources: State Budget Documents; PRS.

## पारिभाषिक शब्द

**पूँजीगत प्राप्तियों** में वे प्राप्तियां शामिल होती हैं जिसने सरकार की परिसंपत्तियों में गिरावट या देनदारियों में बढ़ोतरी होती है। इनमें: (i) परिसंपत्तियों की बिक्री, जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, और (ii) उधारियों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि या राज्यों को दिए गए ऋण की अदायगी शामिल होता है।

**राजस्व प्राप्तियां** ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर कोई सीधा असर नहीं होता। इनमें सरकार द्वारा कर और गैर कर स्रोतों (जैसे लाभांश से प्राप्त होने वाली आय और केंद्र सरकार के अनुदान) से अर्जित धनराशि शामिल होती है।

**पूँजीगत व्यय** परिसंपत्तियों के सृजन या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें: (i) सड़क और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सरकार द्वारा इस्तेमाल धनराशि, और (ii) सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में दी गई धनराशि या उसकी उधारियों की अदायगी शामिल होती है।

**राजस्व व्यय** सरकार का वह व्यय होता है जिसका उसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों पर कोई असर नहीं होता। उदाहरण के लिए उसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन, प्रशासनिक खर्च और सबसिडी शामिल होता है।

**केंद्रीय करों के हस्तांतरण** का अर्थ है कि केंद्रीय करों, जैसे कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, केंद्रीय जीएसटी, कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में केंद्र द्वारा राज्यों को धनराशि देना। वित्त आयोग द्वारा सुझाए मानदंडों के आधार पर राज्यों को हस्तांतरण किया जाता है।

**सहायतानुदान** को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है और वे टाइड प्रकृति के होते हैं, यानी उन्हें विशिष्ट योजनाओं और व्यय की मदों पर ही खर्च करना होता है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

**बकाया ऋण** का अर्थ है, पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उधार ली गई वह राशि, जोकि मौजूदा सरकार पर देय है। किसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि वर्ष के अंत में सरकार पर कितना ऋण बकाया है।

**राजकोषीय घाटा**, सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। किसी एक वर्ष में सरकार को कितनी राशि उधार लेनी होगी, यह उसके बराबर होता है। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं तो अधिशेष उत्पन्न होता है।

**राजस्व घाटा** प्राप्तियों के राजस्व घटक और व्यय, यानी राजस्व संवितरण और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। इसका अर्थ यह है कि सरकार को गैर पूँजीगत घटकों (जिनसे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होगा) पर व्यय के लिए कितना उधार लेना होगा।

**प्राथमिक घाटा** राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर होता है। यह सरकार की व्यय संबंधी जरूरतों और उसकी प्राप्तियों के बीच के अंतर का संकेत देता है लेकिन इसमें इस बात का जिक्र नहीं होता कि पिछले वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों पर कितना खर्च किया गया।

**राज्य का समेकित कोष** वह कोष या लेखा होता है जिसमें राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और उसे सरकार के व्यय के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

**प्रभारित (चार्ज) व्यय** में वह व्यय शामिल होता है जिस पर विधानसभा में मतदान नहीं होता और उसे समेकित कोष से सीधा खर्च किया जाता है। ऐसे व्यय पर विधानसभा में चर्चा की जा सकती है। उदाहरणों में ब्याज भुगतान, और राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते।

**मतदान (वोट) व्यय** में प्रभारित व्यय के अतिरिक्त सभी दूसरे व्यय शामिल होते हैं। ऐसे व्यय के लिए अनुदान मांगों के रूप में विधानसभा में मतदान किया जाता है।

**राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संरचना** वित्तीय अनुशासन के संस्थापन के लिए राज्यों द्वारा पारित कानूनों से संबंधित होती है। यह संरचना राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और बकाया ऋण के लक्ष्यों का प्रावधान करती

है जिन्हें राज्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना होता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजकोषीय नीति पर वक्तव्य जारी करें।

---

<sup>1</sup> The Income Tax Act, 1961 was amended in December 2019 to provide lower tax rate options of 22% to domestic companies and 15% to new domestic manufacturing companies, provided they do not avail certain deductions. The central government estimated the resultant revenue loss at Rs 1.45 lakh crore.; Chapter 2: Economic Review, Annual Report 2019-20, Reserve Bank of India, August 25, 2020, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/AnnualReport/PDFs/2ECONOMICREVIEW694BE07E290546588161AD43C4E702AF.PDF>.

<sup>2</sup> "GST Revenue Collection for March 2020", Press Information Bureau, Ministry of Finance, April 1, 2020.

<sup>3</sup> World Economic Outlook Update, October 2020, International Monetary Fund, <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020>.

<sup>4</sup> Press note on estimates of GDP for Q1 (April-June) of 2020-21, Ministry of Statistics and Programme Implementation, August 31, 2020, [http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press\\_release/PRESS\\_NOTE-Q1\\_2020-21.pdf](http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/PRESS_NOTE-Q1_2020-21.pdf).

<sup>5</sup> "Estimates of GDP for Q2 (July-September) 2020-21", Ministry of Statistics and Programme Implementation, November 27, 2020, [https://mospi.gov.in/documents/213904/416359//PRESS\\_NOTE-Q2\\_2020-211606480008567.pdf/f2b98a11-a06d-8b6f-6f37-621f33ca8f25](https://mospi.gov.in/documents/213904/416359//PRESS_NOTE-Q2_2020-211606480008567.pdf/f2b98a11-a06d-8b6f-6f37-621f33ca8f25).

<sup>6</sup> Monetary Policy Statement, December 2020, Reserve Bank of India, December 4, 2020, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR720A9A40E7FC8884A6A9F158967DE9BFF20.PDF>.

<sup>7</sup> Presentation of details of 5th Tranche announced by Union Finance & Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman under Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan to support Indian economy in fight against COVID-19, May 17, 2020, <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Aatma%20Nirbhar%20Bharat%20%20Presentation%20Part%205%2017-5-2020.pdf>.

<sup>8</sup> The Constitution (101<sup>st</sup> Amendment) Act, 2016, Ministry of Law and Justice, September 8, 2016, <http://legislative.gov.in/sites/default/files/Cons.amend%20101-060717.pdf>.

<sup>9</sup> The GST (Compensation to States) Act, 2017, India Code, Ministry of Law and Justice, as on September 17, 2020, <https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2253/1/A2017-15.pdf>.

<sup>10</sup> Industry Consumption Review, March 2020, Petroleum Planning and Analysis Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, <https://www.ppac.gov.in/WriteReadData/Reports/202004240833124222578WebVersion-IndustryConsumptionReportforMarch2020.pdf>.

<sup>11</sup> Performance of SCCL at a Glance, Singareni Collieries Company Limited, as on September 17, 2020, [https://scclmines.com/scclnew/performance\\_production.asp](https://scclmines.com/scclnew/performance_production.asp).

<sup>12</sup> Provisional Production and Off-take Performance of CIL and Subsidiary Companies for the period April 2019-March 2020, Coal India Limited, April 1, 2020, <https://www.coalindia.in/DesktopModules/DocumentList/documents/nsebseprodmar2001042020.pdf>.

<sup>13</sup> "Centre Released Rs. 1,65,302 Crore as GST Compensation to States/UTs for the FY 2019-20 against cess collection of Rs. 95,444 crore", Press Information Bureau, Ministry of Finance, July 27, 2020.

<sup>14</sup> Unstarred Question No. 58, Lok Sabha, September 14, 2020, <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/174/AU58.pdf>.

<sup>15</sup> "Borrowing options for GST Compensation requirement for 2020-21", Press Information Bureau, Ministry of Finance, August 29, 2020.

<sup>16</sup> Unstarred Question No. 226, Rajya Sabha, September 15, 2020, <https://pqars.nic.in/annex/252/AU226.pdf>.

<sup>17</sup> "Recommendations of the 42nd GST Council Meeting", Press Information Bureau, Ministry of Finance, October 5, 2020.

<sup>18</sup> Budget Speech, 2020-21, Union Budget, February 1, 2020, [https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget\\_Speech.pdf](https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf).

<sup>19</sup> "All States choose Option-1 to meet GST implementation shortfall", Press Information Bureau, Ministry of Finance, December 5, 2020.

<sup>20</sup> "8th Instalment of Rs. 6,000 crore released to the States as back-to-back loan to meet the GST compensation shortfall", Press Information Bureau, Ministry of Finance, December 21, 2020.

<sup>21</sup> State Finances: A Study of Budgets of 2019-20, Reserve Bank of India, September 30, 2019, <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/STATEFINANCE201920E15C4A9A916D4F4B8BF01608933FF0BB.PDF>.

<sup>22</sup> Industry Consumption Report, October 2020, Petroleum Planning and Analysis Cell, Ministry of Petroleum and Natural Gas, <https://www.ppac.gov.in/WriteReadData/Reports/202011251221482780555IndustryConsumptionOctober2020WebVer.pdf>.

<sup>23</sup> The Finance Act, 2018, Ministry of Finance, March 28, 2018, <http://egazette.nic.in/writereaddata/2018/184302.pdf>.

<sup>24</sup> Report of the High-Level Group on Health Constituted under the 15<sup>th</sup> Finance Commission, 2019, [https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html\\_en\\_files/fincom15/StudyReports/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf](https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/StudyReports/High%20Level%20group%20of%20Health%20Sector.pdf).

<sup>25</sup> National Health Policy 2017, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, March 2017, [https://www.nhp.gov.in/nhpfiles/national\\_health\\_policy\\_2017.pdf](https://www.nhp.gov.in/nhpfiles/national_health_policy_2017.pdf).



- 
- <sup>26</sup> Report on Performance of State Power Utilities 2018-19, Power Finance Corporation of India, as accessed on November 3, 2020, [https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance\\_Reports\\_of\\_State\\_Power\\_Utillities/Report\\_on\\_Performance\\_of\\_State\\_Power\\_Utillities\\_2018\\_19.pdf](https://pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance_Reports_of_State_Power_Utillities/Report_on_Performance_of_State_Power_Utillities_2018_19.pdf).
- <sup>27</sup> UDAY Portal, Ministry of Power, as accessed on August 8, 2020, <https://www.uday.gov.in/home.php>.
- <sup>28</sup> PRAAPTI Portal, Ministry of Power, as accessed on November 4, 2020, <https://praapti.in/>.
- <sup>29</sup> Chapter II: Fiscal Position of State Governments, State Finances: A study of budgets, Reserve Bank of India, October 2020, [https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0SF\\_271020FCF77451F1DF744B2B244875C785B8EF3.PDF](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/0SF_271020FCF77451F1DF744B2B244875C785B8EF3.PDF).
- <sup>30</sup> The Report of the 15<sup>th</sup> Finance Commission for FY 2020-21, February 2020, <https://fincomindia.nic.in/>.
- <sup>31</sup> Chapter 7: Fiscal Capacity for the 21<sup>st</sup> Century, Volume I, Economic Survey 2015-16, <https://www.indiabudget.gov.in/budget2016-2017/es2015-16/echapvol1-07.pdf>.
- <sup>32</sup> "Haryana cabinet, which met under the chairmanship of chief minister, Mr. Manohar Lal today approved certain changes in the excise policy of the year 2020-21", Public Relations Department, Government of Haryana, May 5, 2020, <https://prharyana.gov.in/en/haryana-cabinet-which-met-under-the-chairmanship-of-chief-minister-mr-manohar-lal-today-approved-3>.
- <sup>33</sup> "Nagaland impose Covid-19 cess on petrol and diesel sales", The Economic Times, April 30, 2020, <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/nagaland-impose-covid-19-cess-on-petrol-and-diesel-sales/articleshow/75462776.cms?from=mdr>.
- <sup>34</sup> "Development Expenditure in the States Post Fourteenth Finance Commission Award: How have States Spent the Award Money?", Study Commissioned by the 15<sup>th</sup> Finance Commission, ICRIER, May 2019, [https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html\\_en\\_files/fincom15/StudyReports/Development%20Expenditure%20in%20the%20States%20Post%20FFC%20Award\\_How%20have%20states%20spent%20the%20award%20money.pdf](https://fincomindia.nic.in/writereaddata/html_en_files/fincom15/StudyReports/Development%20Expenditure%20in%20the%20States%20Post%20FFC%20Award_How%20have%20states%20spent%20the%20award%20money.pdf).
- <sup>35</sup> FRBM Review Committee Report Volume-I, Ministry of Finance, January 2017, <https://dea.gov.in/sites/default/files/Volume%201%20FRBM%20Review%20Committee%20Report.pdf>.
- <sup>36</sup> FRBM Statement 2020-21, Madhya Pradesh, [https://finance.mp.gov.in/2020/frbm\\_hindi.pdf](https://finance.mp.gov.in/2020/frbm_hindi.pdf).

पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च  
इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़  
तीसरी मंजिल, गंधर्व महाविद्यालय  
212, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002  
टेलीफोन नंबर: (011) 2323 4801, 4343 4035  
[www.prsindia.org](http://www.prsindia.org)